

03 गणपति जी को दुर्गा ही क्यों चढ़ाई जाती है?

06 विरव चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026: क्या प्लास्टिक, ई-कचरे का कबाड़

08 बिहार में जिस महिला को मृत घोषित किया गया था एसआईआर के दौरान जौदा मिली

DTC की हड़ताल नहीं, व्यवस्था की विफलता का सायरन है

दिल्ली चुप, सड़क पर जनता और स्टीयरिंग पर मजदूर दोनों त्रस्त

प्रस्तुतकर्ता:- पिकी कुंडू
सामाजिक परामर्शदाता

16-17 सितंबर 2026 को दिल्ली में जो हुआ वो सिर्फ हड़ताल नहीं थी। DTC के अंतर्गत निजी ऑपरेटरों के हजारों ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया। बुराड़ी, दिलशाद गार्डन, केशपुर, कालकाजी समेत दर्जनों डिपो से बसें नहीं निकलीं, सड़कों पर 50% बसें कम रहीं और DMRC को 20 अतिरिक्त ट्रिप चलानी पड़ी।

हड़ताल पर बैठे ड्राइवर का एक सवाल सरकार से खड़ा है -

₹862 रुपये में कैसे चले घर ?”

उनकी 5 प्रमुख मांगें स्पष्ट हैं:-

- 2000 रु प्रतिदिन दिहाड़ी

और समान काम समान वेतन

- सरकारी छुट्टियों का भुगतान

और वार्षिक बोनस

- मेंडिकल योजना, इंश्योरेंस

कवर और सामाजिक सुरक्षा

- बसें के नुकसान/ट्रट-फूट

पर जुर्माना खत्म करना और

ओवरटाइम का भुगतान

ड्राइवरों का आरोप है कि

वर्दी, जुते का खर्च भी खुद उठाना

पड़ता है, और छोटी खराबी का

हर्जाना भी वेतन से काट लिया

जाता है। जबकि आज अकुशल

दिहाड़ी मजदूर भी 1000 रु कमा

रहा है।

वादों का पुलिंदा और

कैबिनेट की सहमति का सच

यह संकट नया नहीं है।

DTC कर्मचारी एकता यूनियन 1

मई मजदूर दिवस से लगातार

शक्ति प्रदर्शन कर रही है। उनकी

मांगें कांग्रेस काल से लंबित हैं, AAP सरकार में भी सिर्फ आश्वासन मिला, अब भाजपा सरकार से भी वही शिकायत है। चुनावों से पहले हर दल ने रकच को पक्का करने का वादा किया। [MCD में 12 हजार कर्मचारियों को पक्का करने का प्रस्ताव तक पास हुआ और बजट में 800 करोड़ का प्रावधान भी हुआ, लेकिन जमीन पर DTC के 15-20 साल से काम कर रहे ड्राइवर-कंडक्टर आज भी संविदा पर हैं।

कैबिनेट में समान कार्य समान वेतन पर सहमति की खबरें आती हैं, फाइल बनकर तैयार होने की बात कही जाती है, पर लागू करने में टालमटोल जारी है। यही कारण है कि सरकार चुप है और कर्मचारी शोषित महसूस कर रहा है।

संवैधानिक अधिकार -

यह भीख नहीं, हक है

1. अनुच्छेद 14 और 16 -

समानता का अधिकार: राज्य

किसी भी नागरिक के साथ

मनमाना भेदभाव नहीं कर

सकता। एक ही स्टीयरिंग, एक ही

रूट, एक ही जिम्मेदारी पर दो

वेतनमान। सौधे समानता के

विरुद्ध है।

2. अनुच्छेद 21 - गरिमापूर्ण

जीवन: 862 रु में परिवार, मकान

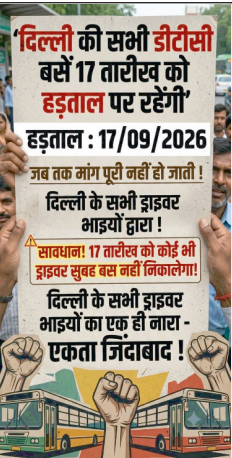
का किराया, बच्चों की पढ़ाई संभव

नहीं, यह जीवन नहीं, जीवन

काटना है।

3. अनुच्छेद 23 - शोषण के

विरुद्ध अधिकार: कम वेतन पर



काम करने के लिए मजबूर करना बेगार का ही रूप है।

4. अनुच्छेद 39 (d) और

43 - राज्य के नीति निर्देशक

तत्व: पुरुष और स्त्री दोनों को

समान कार्य के लिए समान वेतन

मिले, और श्रमिकों को निर्वाह

योग्य वेतन और शिष्ट जीवन-

स्तर प्राप्त हो।

सुप्रीम कोर्ट क्या कह चुका

है ? - दिशा-निर्देश एकदम स्पष्ट

भारत की न्यायपालिका इस मुद्दे

पर सबसे सुखरही है।

- ऐतिहासिक फैसला 26

अक्टूबर 2016, जस्टिस जे.एस.

खेहर और एस.ए. बोबडे की पीठ:

सुप्रीम कोर्ट ने कहा - समान काम

के लिए समान वेतन का सिद्धांत

दिहाड़ी, आकस्मिक और संविदा

कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इसे

न देना शोषणकारी दासता,

दमनकारी और अत्याचारी है।

कोर्ट ने कहा, एक ही काम के

लिए नियुक्त कर्मचारी को दूसरे से

कम भुगतान नहीं किया जा

सकता, खासकर कल्याणकारी

राज्य में तो बिल्कुल नहीं है। कोर्ट

ने इंटरनेशनल कोवेंट ऑन

इकोनॉमिक, सोशल एंड

कल्चरल राइट्स 1966 के

आर्टिकल 7 का हवाला भी दिया

जिसे भारत ने 1979 में अनुमोदित

किया है।

- 2025-26 का ताजा

उदाहरण - छत्तीसगढ़ होमगार्ड

केस: सुप्रीम कोर्ट ने 8500 नगर

सैनिकों के पक्ष में फैसला देते हुए

उन्हें पुलिस के समान वेतन और

सुविधाएं देने का आदेश दिया और

सरकार की SLP खारिज कर दी।

यह सिद्ध कुशल ड्राइवर को

आज भी जीवित और लागू है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है

कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से कम

वेतन पर काम नहीं करता, वह

परिवार के पेट के लिए अपनी

गरिमा की कीमत पर समझौता

करता है।

शोषण क्यों हो रहा है ? -

टेका प्रथा का खेल

1. DTC में दोहरी व्यवस्था:

एक स्थायी ड्राइवर और दूसरा

क्लस्टर/निजी ऑपरेटर का

ड्राइवर। काम एक, वर्दी एक,

जोखिम एक, पर वेतन में 3 गुना

अंतर।

2. निजी ऑपरेटर मुनाफा

बढ़ाने के लिए श्रम लागत घटाते

हैं, और सरकार मूक दर्शक

बनकर जिम्मेदारी ऑपरेटर पर

डाल देती है।

3. ड्राइवरों को स्किल्ड

कैटेगरी में नहीं गिनना। दिल्ली

श्रम विभाग की न्यूनतम मजदूरी

के बावजूद कुशल ड्राइवर को

अकुशल के बराबर पैसा दिया जा

रहा है, जो यूनियन का मुख्य

आरोप है।

समाधान क्या है ? - 5

सूरीय रोडमैप

1. तत्काल अंतरिम राहत:

दिहाड़ी को 862 से बढ़ाकर श्रम

विभाग की स्किल्ड मजदूरी + HRA + वर्दी भत्ते के साथ कम से कम 1200-1400 रु किया जाए और कटीती प्रथा पर रोक लगे।

2. समान कार्य समान वेतन

का नोटिफिकेशन: कैबिनेट में

सहमति को तुरंत DTC बोर्ड और

परिवहन विभाग के आदेश में

बदलकर बेसिक + DA का लाभ

सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को

दिया जाए। यही यूनियन की

दशकों पुरानी मांग है।

3. नियमितकरण की

समयबद्ध नीति: जो 15-20 साल

से सेवा में हैं, उन्हें पहले चरण में

पक्का किया जाए। MCD मॉडल

की तरह बजट आवंटन किया

जाए।

4. सामाजिक सुरक्षा

अनिवार्य: EPF, ESIC,

मैडिकल, दुर्घटना बीमा, बोनस

और पेड लीव को ऑपरेटर के

अनुबंध की शर्त बनाया जाए,

उल्लंघन पर ऑपरेटर का

लाइसेंस रद्द हो।

5. ट्रिपल ऑडिट मैकेनिज्म:

सरकार, यूनियन और तीसरे पक्ष

(लेबर कमिश्नर) की संयुक्त

समिति हर 6 महीने में वेतन पर्ची

और काम के घंटे ऑडिट करे।

अंत में: DTC दिल्ली की

जीवनरेखा है। जब उसका

चालक भूखा है, असुरक्षित है, तो

राजधानी की रफ्तार सुरक्षित कैसे

हो सकती है ? सरकार को चुप्पी

तोड़नी होगी। समाज कार्य समान

वेतन नारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा

घोषित मानवीय गरिमा की

न्यूनतम गारंटी है।

परिवहन विशेष - न्यायिक रिपोर्ट - सड़क सुरक्षा - सुप्रीम कोर्ट: सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त - UP सरकार से कहा, गंभीर मोटर वाहन अपराध कभी 'समाप्त' नहीं माने जाएंगे



प्रस्तुतकर्ता पिकी कुंडू सह संपादक

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

खत्म नहीं होंगे गंभीर ट्रैफिक

अपराधों के केस सड़क सुरक्षा से जुड़े

एक ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट

ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी

नसीहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है

कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के

तहत जो अपराध गंभीर प्रकृति के हैं,

उन्हें राज्य के 2023 के कानून के

तहत कभी भी 'abated' यानी

समाप्त नहीं माना जा सकता।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और

जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने

कहा कि राज्य सरकार एक ऐसा

अध्यदेश लाए जिसमें साफ लिखा हो

कि गंभीर अपराधों के मुकदमे जारी

रहेंगे।

मुख्य बिंदुवार - पूरा केस

समझें

बिंदु 1: तथ्य क्या है ?

- केस: S. Rajasekaran v.

Union of India & Ors.।

W.P.(C) No. 295/2012 - यह

सड़क सुरक्षा पर देश की सबसे बड़ी

जनहित याचिका है।

- विवाद: उत्तर प्रदेश सरकार

2023 में एक ऐसा कानून / अध्यादेश

लाई थी जिससे बड़ी संख्या में पुराने

मोटर वाहन अपराधों के मामले

abated (समाप्त) माने जाने लगे

थे।

- कोर्ट की आपत्ति: क्या गंभीर

अपराध भी इस तरह माफ किए जा

सकते हैं ?

बिंदु 2: सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?

- 3 श्रेणियों पर रोक पीठ ने यूपी

सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि

निम्न 3 श्रेणियों के अपराध कभी

समाप्त नहीं माने जाएंगे:

1. नॉन-कंपाउंडेबल अपराध:

जो समझौते योग्य नहीं हैं (जैसे शराब

पीकर गाड़ी चलाना - धारा 185 MV

Act, खतरनाक ड्राइविंग)

2. अनिवार्य जेल की सजा वाले

अपराध: जहां कानून में जेल

अनिवार्य है

3. बार-बार किए गए अपराध

(Repeat Offences): आदतन

निम्न तोड़ने वाले

इन मामलों में मुकदमे जारी रहेंगे

और जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ाए

जाएंगे।

बिंदु 3: एमिक्स क्यूरी और

राज्य सरकार का पक्ष

- एमिक्स क्यूरी सीनियर

एडवोकेट गौरव अग्रवाल: उन्होंने

राज्य के प्रस्तावित संशोधन पर कड़ी

आपत्ति जताई। कहा - 'सड़क सुरक्षा

से जुड़े गंभीर अपराधों पर मुकदमा ना

चलाने का कोई औचित्य नहीं है।'

उन्होंने चेतावनी दी कि राज्य का

कानून और केंद्रीय कानून (MV

Act, 1988) के बीच टकराव है,

जिसकी संवैधानिक जांच होनी

चाहिए।

- यूपी सरकार: कोर्ट को बताया

कि ऐसे मामलों की पहचान शुरू हो

गई है और 75 में से 72 जिलों से

जानकारी मिल चुकी है।

बिंदु 4: कानूनी और

संवैधानिक विश्लेषण

- केंद्रीय बनाम राज्य कानून:

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एक

केंद्रीय कानून है। संविधान की सातवीं

अनुसूची की समवर्ती सूची (Entry

35) के तहत केंद्र और राज्य दोनों

कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव

की स्थिति में अनुच्छेद 254 के तहत

केंद्रीय कानून प्रभावी होगा।

- अनुच्छेद 21 - जीवन का

अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने कई बार

कहा है कि सड़क सुरक्षा अनुच्छेद 21

के तहत जीवन के अधिकार का

हिस्सा है। लापरवाह ड्राइवरों को छूट

देना जनहित के विरुद्ध है।

- Abatement क्या होता है ?

इसका अर्थ है कि कानूनी कार्यवाही

कहना है कि गंभीर अपराधों में यह

जनहित के खिलाफ है और दंड के

गणपति जी को दुर्वा ही क्यों चढ़ाई जाती है?



क्या आपने कभी सोचा है कि श्री गणेश जी की पूजा में दुर्वा को इतना विशेष स्थान क्यों दिया गया है ?

पिकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता

यह केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे प्रकृति और आयुर्वेद से जुड़े संदर्भ भी हैं ? आइए जाने

धार्मिक महत्व हिंदू परंपरा में दुर्वा को भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय माना जाता है। कई गणेश पूजा विधियों में 21 दुर्वाओं की जुड़ी भगवान गणेश को अर्पित की जाती है।

दुर्वा की वैज्ञानिक पहचान दुर्वा का वैज्ञानिक नाम Cynodon dactylon है, जिसे

Bermuda Grass भी कहा जाता है।

यह जमीन पर फैलने वाली और कठिन परिस्थितियों में भी बढ़ने वाली घास है। इसकी जड़ें मिट्टी को बांधकर रखने में मदद करती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव कम करने में योगदान हो सकता है।

आयुर्वेदिक परंपरा में दुर्वा आयुर्वेदिक परंपरा में दुर्वा को शीतल और रक्तस्तेषक गुणों से जोड़ा गया है।

परंपरागत रूप से दुर्वा के जिन उपयोगों का उल्लेख मिलता है—

1. छोटी चोट एवं रक्तस्राव

कुछ पारंपरिक पद्धतियों में साफ की हुई ताजी दुर्वा का लेप या रस बाहरी रूप से लगाने का उल्लेख मिलता है।

2. नाक से खून आना कुछ लोकपरंपराओं में दुर्वा के ताजे रस

के उपयोग का उल्लेख मिलता है।

3. त्वचा की जलन दुर्वा की पिसी हुई पेस्ट को बाहरी रूप से लगाने की पारंपरिक पद्धति कुछ स्थानों पर बताई गई है।

4. पाचन संबंधी समस्याएं पुराने पारंपरिक चिकित्सा संदर्भों में दुर्वा की विभिन्न तैयारियों के उपयोग का उल्लेख मिलता है।

5. पेशाब से संबंधित शिकायतें कुछ आयुर्वेदिक परंपराओं में दुर्वा की जड़/वनस्पति से तैयारियों के उपयोग का वर्णन मिलता है।

6. जलन एवं गर्मी की शिकायतें आयुर्वेद में दुर्वा को शीतल गुणों से जोड़ा जाता है। आधुनिक प्रायोगिक अध्ययनों में भी इसके antioxidant और anti-inflammatory गुणों की जांच की गई है।

जरूरी सावधानी: ऊपर बताए गए उपयोग पारंपरिक संदर्भ हैं। इन्हें किसी बीमारी का प्रमाणित इलाज न समझें। गंभीर रक्तस्राव, चोट या बीमारी में डॉक्टर की सलाह और उचित चिकित्सा लेना जरूरी है।

श्री गणेश जी का सुंदर संदेश “गणपति जी को दुर्वा चढ़ाना हमारी श्रद्धा है, उसका महत्व समझना हमारा ज्ञान है और प्रकृति की रक्षा करना हमारी सच्ची कृतज्ञता है।”

इस गणेशोत्सव में एक संकल्प लें—

1. प्रकृति बचाएं

2. पेड़-पौधे लगाएं

3. पानी बचाएं

4. स्वच्छता रखेंगे

5. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे

गणपति बप्पा मोरया

Vedicodes

VASTU • NUMEROLOGY • ASTROLOGY

आपके दिन की शुरुआत,

पारुल भटनागर के साथ

विशेषज्ञ एस्ट्रो न्यूमेरो वास्तु कंसल्टेंट

परिवहन विशेष News

अंक ज्योतिष भविष्यवाणी • 17 सितम्बर 2026

दिन का अंक: 9 | पूर्णता, करुणा, साहस, क्षमा और पुराने विषयों के समापन का दिन।

मूलांक 1 | नई शुरुआत से पहले अधूरा काम पूरा करें

आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नई पहल करने की है, लेकिन आज किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरा करके आगे बढ़ना अधिक लाभकारी रहेगा। नेतृत्व में धैर्य और संवेदनशीलता जोड़ें। अधूरे विषय समेटने से अगला कदम अधिक स्पष्टता के साथ शुरू होगा।

मूलांक 2 | भावनात्मक बोझ को सहजता से छोड़ें

आज किसी पुराने भाव, अपेक्षा या रिश्ते के ऐसे पैटर्न का एहसास हो सकता है जिसे समापन की जरूरत है। केवल परिचित होने के कारण किसी स्थिति को पकड़े न रहें। शांत और संवेदनशील बातचीत बताएगी कि क्या संभालना है और क्या छोड़ देना बेहतर है।

मूलांक 3 | अपने शब्दों से प्रेरणा और समाधान दें

आज संवाद की शक्ति विशेष है, खासकर जब उसका उपयोग प्रोत्साहन, शिक्षण या स्पष्टता के लिए किया जाए। कोई रचनात्मक कार्य या चर्चा पूर्णता के महत्वपूर्ण चरण तक पहुंच सकती है। चुगली या अनावश्यक आलोचना से बचें और अपनी अभिव्यक्ति से समझ बढ़ाएं।

मूलांक 4 | वे विवरण पूरे करें जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर दें

लंबित प्रशासनिक, आर्थिक या कार्य संबंधी विषयों को पूरा करने में आपका व्यावहारिक दृष्टिकोण उपयोगी रहेगा। दस्तावेज, समय-सीमा और अधूरे काम सावधानी से जांचें। जिस तरीके या दिनचर्या का उद्देश्य पूरा हो चुका है उसे समाप्त करने से न डरें।

मूलांक 5 | बेचैनी वाले बदलाव के बजाय सार्थक बदलाव चुनें

आज यात्रा, बदलाव या कुछ नया करने की इच्छा हो सकती है, लेकिन पहले देखें कि वह बदलाव वास्तव में आपकी प्रगति में सहायक है या नहीं। नई जिम्मेदारी लेने से पहले पुरानी प्रतिबद्धताएं पूरी करें। सही समापन बेहतर अवसर का रास्ता खोल सकता है।

मूलांक 6 | करुणा पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करेगी

परिवार और करीबी रिश्तों में समझ, क्षमा या परिपक्व बातचीत की जरूरत हो सकती है। आपका देखभाल करने वाला स्वभाव सामंजस्य लौटाने में मदद करेगा, लेकिन दूसरों की भावनाओं की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें। प्रेम के साथ सहयोग करें और स्वस्थ सीमाएं बनाए रखें।

मूलांक 7 | चिंतन किसी अध्याय को पूर्ण करने में मदद करेगा

आपकी अंतर्ज्ञानी और विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति समझा सकती है कि कोई स्थिति इस बिंदु तक क्यों पहुंची। शांत समय, अध्ययन या आध्यात्मिक चिंतन महत्वपूर्ण समझ दे सकता है। जिसे बदलना संभव नहीं है उसे स्वीकार करें और अपनी बुद्धि को अगले चरण की ओर लगाएं।

मूलांक 8 | जिम्मेदारियां ईमानदारी से पूरी करें

करियर, धन और अधिकार से जुड़े मामलों में आज जवाबदेही या समापन की जरूरत हो सकती है। लंबित भुगतान, प्रतिबद्धताएं या व्यावसायिक जिम्मेदारियां सावधानी से पूरी करें। शक्ति संघर्ष से बचें; परिपक्व समापन और नैतिक निर्णय आपकी दीर्घकालिक स्थिति मजबूत करेंगे।

मूलांक 9 | आज आपका स्वाभाविक अंक विशेष रूप से सक्रिय है

आज का अंक आपके साहस, करुणा और कार्यों को पूर्णता तक पहुंचाने की क्षमता के साथ गहरा सामंजस्य बनाता है। इस शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग लंबित कार्य पूरा करने, जहां संभव हो क्षमा करने और अनुपयोगी चीजों को छोड़ने में करें। आज का समापन एक सार्थक नई शुरुआत की नींव बन सकता है।

कॉल / व्हाट्सएप: 8750075550 | वेबसाइट: www.vedicodes.in

फेसबुक • इंस्टाग्राम • यूट्यूब: @vedicodes

Vedicodes - Your vibrations... our solutions

परिवहन विशेष । धर्म-दर्शन - गीता विशेषांक

अंक: 161 । दिनांक: 17 सितंबर 2026 । स्थान: / नई दिल्ली

गीता के उपदेशों में ही निहित है आज की जटिल समस्याओं का समाधान - आध्यात्मिक गुरु करिश्मा गोयनका

द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में दिया गया कृष्ण का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक; 'समर्पण' शो के माध्यम से नई पीढ़ी को गीता से जोड़ रही हैं गुरु, एकत्र धन से करती हैं कैसर पीड़ितों की मदद

विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक साउरकेला

क्यों आज भी प्रासंगिक है गीता ? आज की तेज़ रफ़्तार जिंदगी में हमारे पास सुविधाएँ बहुत हैं, लेकिन मन की शांति कहीं पीछे छूटती जा रही है। हमारी समस्याएँ आधुनिक हैं, लेकिन मनुष्य का मन आज भी वही है - चिंताओं, इच्छाओं, तुलना, क्रोध और उद्देश्य की तलाश से घिरा हुआ।

हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन जिस मानसिक संघर्ष से गुज़र रहे थे, उसकी झलक आज हमें अपने भीतर दिखाई देती है। आध्यात्मिक गुरु करिश्मा गोयनका कहती हैं - र आज की जटिल समस्याओं का समाधान गीता में ही निहित है, हमें बाहर कुछ भी ढूँढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर जनसंख्या गीता के अनुरूप जीवन शैली ढाल ले तो समाज में शांति, भाईचारा और सौहार्द स्थापित होगा और बेहतर राष्ट्र का गठन होगा।”

गुरु गोयनका देश के विभिन्न हिस्सों में अपने शो रसमर्पण के माध्यम से नई पीढ़ी को गीता और प्राचीन ग्रंथों से जोड़ने का अथक प्रयास कर रही हैं।

मुख्य बिंदु - आज की 5 बड़ी चुनौतियां और गीता का समाधान

बिंदु 1: चिंता, अति-विचार और भविष्य का डर

- समस्या: “अगर असफल हो गया तो ? लोग क्या सोचेंगे ?” इसी में हम वर्तमान खो देते हैं।

- गीता का सूत्र: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन (2.47) - तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं।

- आज का समाधान: जो तुम्हारा कर्तव्य है, उसे पूरी निष्ठा से करो। अच्छी तैयारी करो, ईमानदारी से प्रयास करो और परिणाम को नियंत्रित करने की जिद छोड़ दो।

- ज्ञान: अपने डर पर नहीं, अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दो।

बिंदु 2: तुलना, असुरक्षा और स्वीकृति की चाह

- समस्या: सोशल मीडिया ने तुलना को रोज की आदत बना दिया है। खुशी दूसरों की लाइक-प्रशंसा पर निर्भर हो गई है।

- गीता का सूत्र: समत्वं योग उच्यते (2.48) - समभाव को ही योग कहा गया है।

- आज का समाधान: किसी और से नहीं, कल के अपने आप से बेहतर बनो। दूसरे की सफलता को अपनी असफलता का प्रमाण मत

बनने दो।

- ज्ञान: तुलना शांति छीन लेती है, आत्म-संयम शांति वापस लाता है।

बिंदु 3: भटकता मन और ध्यान भंग

- समस्या: खामोशी असहज लगती है, हाथ मोबाइल की ओर चला जाता है।

- गीता का सूत्र: ध्यायतो विषयान्-पुंसः... (2.62-63) - विषयों का चिंतन आसक्ति, आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध पैदा करता है।

- आज का समाधान: अपने ध्यान की रक्षा करो। कुछ समय बिना स्क्रीन के बैठो, बिना

फोन के भोजन करो। मन साधन बने, स्वामी नहीं।

- ज्ञान: जिसे बार-बार ध्यान दोगे, वही तुम्हारे मन का स्वरूप तय करेगा।

बिंदु 4: क्रोध और टूटते रिश्ते

- समस्या: एक कठोर शब्द वर्षों के प्रेम को चोट पहुंचा देता है।

- गीता का सूत्र: यततो ह्यपि कौन्तेय... (2.60) - प्रयत्नशील विवेकी का मन भी ईद्रियों से विचलित हो सकता है।

- आज का समाधान: भावना और प्रतिक्रिया के बीच एक क्षण का विराम लो। गुस्से में मैसेज भेजने से पहले रुको। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, कभी रिश्ता बचाना बड़ी जीत है।

- ज्ञान: शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है।

बिंदु 5: उद्देश्य का खो जाना - 'मैं जी किसलिए रहा हूँ ?'

- समस्या: श्व कुछ पाकर भी भीतर सवाल - क्या बस यही जीवन है ?

- गीता का सूत्र: श्रेयान्-स्वधर्मो विगुणः... (3.35) - दूसरे का धर्म श्रेष्ठता से निभाने से अपना धर्म अपूर्ण भी श्रेष्ठ है।

- आज का समाधान: सिर्फ मत पूछो रसफल कैसे होना है ?र, पूछो रमुझे संसार को क्या देना है ?र आपका धर्म परिवार पालना, सेवा करना या ईमानदारी से काम करना भी हो सकता है।

- ज्ञान: सार्थक जीवन पाने से नहीं, देने से मापा जाता है।

अंतिम सीख - समर्पण क्या है ?

सर्वधर्मा् परित्यज्य मामेकं शरणां ब्रज (18.66)

समर्पण हार नहीं है। यह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए हर चीज को निर्यंत्रित करने की अहंकारपूर्ण इच्छा को छोड़ देना है।

अपना कर्तव्य निभाइए, मूल्यों को चुनिए, मन को साधिए, सेवा कीजिए और जिसे बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करना सीखिए।

यही समर्पण की यात्रा है - अराजकता से शांति की ओर, भय से विश्वास की ओर, अहंकार से सेवा की ओर, नियंत्रण से समर्पण की ओर।

॥ गणपति बाप्पा मोरया ॥

पिकी कुंडू सामाजिक परामर्शदाता

में प्रचलित हुआ, ऐसी महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोकपरंपरा है।

हालांकि “मोरया” शब्द की उत्पत्ति के संबंध में अलग-अलग धार्मिक और लोकपरंपराएँ भी मिलती हैं। इसलिए इसे केवल एक ही निश्चित अर्थ तक सीमित करना उचित नहीं है।

मोरगांव और मयूरेश्वर मोरगांव अष्टविनायकों के प्रमुख तीर्थस्थानों में से एक है। यहाँ के श्री मयूरेश्वर गणपति और संत मोरया गोसावी की भक्तिपरंपरा का विशेष संबंध बताया जाता है।

“मंगलमूर्ति मोरया !” मंगलमूर्ति अर्थात शुभ, मंगल और कल्याणकारी स्वरूप। इस जयघोष में भगवान श्रीगणेश के प्रति श्रद्धा, प्रेम और मंगलभाव व्यक्त होता है।

“अगले वर्ष जल्दी आइए !” क्यों कहते हैं ? गणेश विसर्जन के समय भक्त कहते हैं—

गणपति बाप्पा मोरया !

अगले वर्ष जल्दी आइए !

इसके पीछे बहुत ही सुंदर भाव है—

“बाप्पा, अब आप अपने धाम पधारिए; लेकिन अगले वर्ष फिर

जल्दी हमारे घर आइए !”

विसर्जन का आध्यात्मिक संदेश मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा अंत में जल में विसर्जित होकर प्रकृति में विलीन हो जाती है।

निर्माण अस्तित्व विलय यह हमें प्रकृति के शाश्वत चक्र और जीवन की अनित्यता का सुंदर संदेश देता है।

“मोरया” कहते समय कौन-सी भावनाएँ होती हैं ?

1. श्रद्धा

2. प्रेम

3. भक्ति

4. उत्साह

5. विश्वास

6. सामूहिक आनंद

इसीलिए लाखों भक्त एक साथ जयघोष करते हैं—

गणपति बाप्पा मोरया !

मंगलमूर्ति मोरया !

अगले वर्ष जल्दी आइए !

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जीवनयात्रा में स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन का विशेष महत्व है।”

गणपति बाप्पा मोरया !

मंगलमूर्ति मोरया !

अगले वर्ष जल्दी आइए !

आशीर्वाद का दीया प्रज्ज्वलित कर होगा सेवा संकल्प अभियान का भव्य शुभारंभ

-झज्जर जिला में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होंगे जागरूकता कार्यक्रम

-डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा- केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ चलेगा सेवा संकल्प अभियान

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 16 सितंबर

झज्जर जिला में राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ हो रहे सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ गुरुवार, 17 सितंबर को आशीर्वाद का दीया प्रज्ज्वलन के साथ होगा। आशीर्वाद का दीया प्रज्ज्वलित होने के साथ ही नागरिक अस्पताल झज्जर में रक्तदान शिविर भी गुरुवार को लगाया जा रहा है। समाज के प्रत्येक वर्ग को सेवा कार्यों से जोड़ने और जनकल्याण की भावना को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिलाभर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किए जाएगा। यह बात डीसी वर्षा खांगवाल ने कही। डीसी बुधवार को लघु सचिवालय सभागार में सेवा संकल्प अभियान के मद्देनर संबंधित नोडल अधिकारियों की

बैठक ले रही थी। इससे पहले सेवा संकल्प अभियान के प्रभावी रूप से प्रदेश भर में कार्यक्रमों के आयोजनों बारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सभी उपायुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीसी ने आयोजन स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।

डीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार आयोजित इस अभियान के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी गतिविधियों के माध्यम से सेवा, सहयोग और जनभागीदारी की भावना को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को सेवा कार्यों से जोड़ना, सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना तथा विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूरी करने तथा कार्यक्रम का प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

12 मॉड्यूल के तहत आयोजित होंगी विभिन्न गतिविधियां

डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि



‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत 12 मॉड्यूल के माध्यम से विभिन्न सेवा एवं जनकल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें आशीर्वाद का दीया/रक्तदान, मेरे सपनों का भारत-चित्र सेवा, नमो सेवा-अनकही कहानियां, आंगन मिलन सेवा, सेवा की कहानी, सेवा ज्योति कलश यात्रा-विकसित भारत का संकल्प, वडनगर चित्र सेवा, नमो सेवा-अनकही कहानियां और सेवा की कहानी जैसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक सोच एवं सेवा भावना को सामने लाने का

कें संग, सेवा फस्ट इनोवेशन चैलेंज तथा सुशासन सेवा संवाद प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों का उद्देश्य सेवा भावना को सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है। रक्तदान जैसी जनसेवा गतिविधियों के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता को प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि चित्र सेवा, अनकही कहानियों और सेवा की कहानी जैसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक सोच एवं सेवा भावना को सामने लाने का

माध्यम बनेंगे।

जिलाभर में जनभागीदारी और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

डीसी ने कहा कि सेवा ज्योति कलश यात्रा-विकसित भारत का संकल्प और सेवा सेतु अभियान के माध्यम से जनभागीदारी को व्यापक रूप दिया जाएगा। वहीं, सेवा फस्ट इनोवेशन चैलेंज के जरिए सेवा कार्यों में नए विचारों एवं नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा। सुशासन सेवा संवाद के माध्यम



से सेवा, सुशासन और जनकल्याण के बीच समन्वय को और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। डीसी ने कहा कि ‘सेवा संकल्प अभियान’ समाज के हर वर्ग को जनकल्याणकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा। सामूहिक सहभागिता के माध्यम से सेवा भावना को मजबूत करते हुए

जनकल्याण और राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को नई गति दी जा सकती है।

इस अवसर पर एडीसी जगनिवास, एसडीएम झज्जर रवि मिणा, एसडीएम बहादुरगढ़ अभिनव सिवाच, सीईओ जिला परिषद मनीष कुमार फौगाट, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, एसडीएम बादली विशाल कुमार सहित भाजपा जिलाध्यक्ष विक्रम वाल्मीकि व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

खरीद फसल खरीद की तैयारियों को लेकर मंडियों में नोडल अधिकारी नियुक्त : डीसी



मंडियों में खरीद, उठान, परिवहन व श्रमिक व्यवस्था की नियमित निगरानी के निर्देश

झज्जर, 16 सितंबर

खरीफ खरीद सीजन 2026-27 के दौरान किसानों को फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और मंडियों में खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीसी वर्षा खांगवाल ने जिला की सभी मंडियों एवं खरीद केंद्रों के लिए अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए संबंधित मंडियों की व्यवस्थाओं की निगरानी और खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी है।

डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने निर्धारित मंडी एवं खरीद केंद्र में खरीद प्रक्रिया की नियमित निगरानी करें तथा किसानों, आदतियों, श्रमिकों और खरीद एजेंसियों से संबंधित समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। मंडियों में फसल की खरीद के साथ-साथ उठान, परिवहन



और श्रमिकों की उपलब्धता पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। नियुक्त नोडल अधिकारी मंडी एवं खरीद केंद्र में खरीद प्रक्रिया की समग्र निगरानी करेंगे और नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। साथ ही, मंडियों में सामने आने वाली समस्याओं एवं शिकायतों का समाधान संबंधित विभागों के समन्वय से सुनिश्चित किया जाएगा।

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात

डीसी ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा खरीद प्रक्रिया के दौरान आने वाली शिकायतों के निवारण के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट-सह-अध्यक्ष शिकायत निवारण समिति को भी जिम्मेदारी सौंपी है। ये अधिकारी संबंधित मंडियों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के साथ विभिन्न प्रकार की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करेंगे। परिवहन, श्रमिकों तथा मंडियों से फसल के उठान से जुड़े मामलों की भी निगरानी की जाएगी।

मंडियों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

डीसी ने संबंधित अधिकारियों को मंडियों एवं खरीद केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सतह का समतलीकरण, अलग प्रवेश एवं निकास द्वार, खरीद केंद्र से मुख्य मार्ग अथवा नजदीकी पक्की सड़क तक रास्ते की व्यवस्था, कंप्यूटर एवं कर्मचारियों के लिए टेंट अथवा पक्की संरचना, आदतियों के बैठने के लिए कुर्सियों सहित उचित स्थान, पेयजल, अस्थायी शौचालय तथा श्रमिकों के लिए बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

एडीसी को जिला स्तर पर समग्र निगरानी की जिम्मेदारी

एडीसी झज्जर को जिले में खरीद प्रक्रिया की समग्र निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, झज्जर द्वारा सभी मंडियों एवं खरीद केंद्रों से प्राप्त रिपोर्ट का संकलन कर संबंधित अधिकारियों को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। जिला प्रशासन का उद्देश्य खरीफ खरीद सीजन के दौरान किसानों को निर्बाध एवं सुचारू खरीद व्यवस्था उपलब्ध करवाना है।

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और सुधार का अंतिम अवसर, 30 सितंबर तक करें आवेदन

-एसआईआर-2026 अभियान में पात्र युवाओं से तुरंत फॉर्म-6 भरने की अपील, अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 16 सितंबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला झज्जर के चारों विधानसभा क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 अभियान के तहत मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाने का कार्य जारी है। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के दौरान प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो तथा अपात्र नामों को हटाने और आवश्यक संशोधनों की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि पात्र युवा मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 भरकर आवेदन करें। जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे निर्धारित दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल करवाने के लिए दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे 30 सितंबर की अंतिम तिथि का इंतजार न करें और पात्रता पूरी होते



ही आवेदन करें। डीसी ने झज्जर में संबंधित ईआरओ की बैठक में एसआईआर प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

30 सितंबर तक दर्ज कराएं दावे-आपत्तियां

डीसी ने बताया कि एसआईआर-2026 के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां 30 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकती हैं। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निपटान 28 अक्टूबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 नवंबर को होगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपना तथा परिवार के

सभी पात्र सदस्यों का नाम और विवरण प्रारंभिक मतदाता सूची में समय रहते जांच लें।

फॉर्म-7 और फॉर्म-8 से कराएं आवश्यक सुधार मतदाता

डीसी बताया कि मतदाता सूची में नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण में त्रुटि होने पर फॉर्म-8 के माध्यम से संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं, मृत, अपात्र, स्थायी रूप से स्थानांतरित अथवा अन्य स्थान पर पहले से पंजीकृत मतदाता के नाम के संबंध में फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

वोटर बीएलओ और निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त करें सहायता

डीसी ने कहा कि नागरिक दावे एवं

आपत्तियां दर्ज कराने अथवा आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के बीएलओ, निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) अथवा सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईईआरओ) से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। मतदाता सूची से संबंधित सहायता के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सक्रिय सहभागिता से मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, विश्वसनीय एवं अद्यतन बनाया जा सकता है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है।

दिन में दो बार ब्रश करें, मुंह की स्वच्छता का रखें विशेष ध्यान : डॉ कुलदीप नृत्य, नाटक और रागनी में विद्यार्थियों ने बिखेरा हुनर, सांखोल, नूना माजरा और दुजाना की टीमों ने हासिल किया प्रथम स्थान

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 16 सितंबर। जिला शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव-2026 में विद्यार्थियों ने नृत्य, नाटक और रागनी सहित विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। महोत्सव में कक्षा 5वीं से 8वीं तथा कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग वर्गों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मंगलवार को कक्षा 9वीं से 12वीं वर्ग तथा बुधवार को कक्षा 5वीं से 8वीं वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं।

डीईओ रतिंद्र सिंह ने कहा कि जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने का प्रभावी मंच है। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए हरियाणवी लोक संस्कृति, परंपराओं और कला की शानदार झलक प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास होता है।

डीईईओ राजबाला मलिक ने कहा कि सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार के आयोजनों से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा को मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी

बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए, ताकि वे अपनी प्रतिभा को निखार सकें और प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहें।

कक्षा 9वीं से 12वीं वर्ग में विद्यार्थियों ने दिखाया हुनर

कक्षा 9वीं से 12वीं वर्ग की ग्रुप डांस प्रतियोगिता में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नूना माजरा की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। राजकीय कन्या हाई स्कूल उंटलोढ़ा की टीम दूसरे तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेड़ी आसरा की टीम तीसरे स्थान पर रही। सोलो डांस में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दुजाना ने प्रथम, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बेरी ने द्वितीय तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मातनहेल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्किट में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खाचरौली प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कनौदा द्वितीय तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुगवास की टीम तृतीय रही।

कक्षा 5वीं से 8वीं वर्ग में भी दिखा उत्साह

कक्षा 5वीं से 8वीं वर्ग की ग्रुप डांस प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांखोल की टीम प्रथम,



राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भापड़ौदा द्वितीय तथा राजकीय मिडिल स्कूल वजीरपुर की टीम तृतीय रही। सोलो डांस में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नूना माजरा ने प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेड़ी असरा ने द्वितीय तथा राजकीय

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांखोल की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्किट में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डाबोदा खुर्द प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुभाना द्वितीय तथा राजकीय हाई स्कूल जौंधी तृतीय रहा। रागनी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक

विद्यालय दुजाना की टीम प्रथम, राजकीय मिडिल स्कूल वजीरपुर द्वितीय तथा राजकीय हाई स्कूल नौगांव की टीम तृतीय रही।

मंच संचालन ने बांधे रखा कार्यक्रम

महोत्सव के दौरान विद्यार्थियों ने नृत्य,

नाटक और रागनी के माध्यम से हरियाणवी लोक संस्कृति की मनमोहक झलक प्रस्तुत की। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों के बीच उत्साह और कड़ा मुकाबला देखने को मिला। कार्यक्रम का मंच संचालन संजय शर्मा और डॉ. महाबीर ने किया। दोनों ने प्रभावी संचालन

के माध्यम से कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया और विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन किया।

प्रतिभाओं को मंच देना रहा आयोजन का उद्देश्य

दो दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और उसे निखारने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध करवाना रहा। इस ही विद्यार्थियों को हरियाणा की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और कला से जोड़ने का प्रयास किया गया। प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और टीमों को आगे की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी गईं।

इस अवसर पर डीपीसी अनिल शर्मा, डिप्टी डीईओ रूपेंद्र नांदल, डिप्टी डीईओ देवेंद्र सिंह, बीईओ झज्जर सुनीता, बीईओ मातनहेल सुरेश पाल सुहाग, बीईओ शेर सिंह, बीईओ जयपाल दहिया, बीईओ भारती वर्मा, प्राचार्य रमेश कुमार, प्राचार्य जोगिंदर सिंह, प्राचार्य राजेंद्र सिंह, प्राचार्य अजय खोखर, प्राचार्य संजीव खत्री, प्राचार्य कृष्ण धनखड़, प्राचार्य सुनील दत्त, प्राचार्य निर्मल कुमार, प्राचार्य भूप सिंह, डीएमएस विक्रम सिंह, जिला लीगल लिटरेसी कॉर्डिनेटर कृष्ण वशिष्ठ, AEO जय कुमार कौशिक, इंफॉर्मेशन ऑफिसर रविंदर कौशिक, प्रवीण जाखड़, रविश सुहाग, मैनावती, सुनीता देवी, नितिका सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं स्टाफ उपस्थित रहा।

एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में सबसे ज़रूरी आपत्ति यह है कि ULC एक्ट के सेक्शन 45 का गलत इस्तेमाल किया गया



सचिन मालतीताई
त्र्यंबकराव मंडलिक,
परिवहन विशेष
समाचार पत्र दैनिक नासिक

त्र्यंबक रोड पर PTC के सामने करोड़ों रुपये की 62 एकड़ जमीन के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। ज़िला प्रशासन की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में पता चला है कि अर्बन लैंड मैक्सिमम लिमिटेशन एक्ट (ULC) के चंगुल से और ज़मीन बचाने के लिए असली ऑर्डर में गैर-कानूनी तरीके से बदलाव किया गया था। खास तौर पर, प्रशासन ने कहा है कि सिर्फ लिखने या टाइपिंग में गलतियों को ठीक करने के नियम के आधार पर और ज़मीन के एरिया में बढ़ा बदलाव किया गया था। इस जमीन के मालिकाना हक और PTC के सामने ULC कार्रवाई से जुड़ा विवाद बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है। इस बारे में दायर रिट पिटीशन नंबर 728/2026, 733/2026, 751/2026, 750/2026 और

874/2026 के संदर्भ में एडिशनल तहसीलदार ने ज़रूरी जानकारी मांगी थी। इसी के मुताबिक, ULC के तहसीलदार संतोष महाले ने जिला प्रशासन की तरफ से हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में खतीब परिवार से जुड़े अलग-अलग मामलों का रिव्यू किया गया है। पीर साहेब खतीब, निजामुद्दीन खतीब, अहमद खतीब, मोहिउद्दीन खतीब समेत संबंधित मामलों में अलग-अलग रिकॉर्ड और ऑर्डर की जांच की गई है।

1.04 लाख स्क्वेयर मीटर एक्स्ट्रा जमीन
सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, सर्वे नंबर 750, 751 और 755 की जमीन के बारे में 1987 में ULC एक्ट के सेक्शन 8(4) के तहत एक ऑर्डर पास किया गया था। इसके मुताबिक, 1,04,654.75 स्क्वेयर मीटर एरिया को एक्स्ट्रा जमीन बताया गया था। हालांकि, एक रिविजन एप्लीकेशन फाइल करने के बाद, 30 सितंबर 1993 को सेक्शन 45 के तहत एक ऑर्डर पास किया गया। इस ऑर्डर में, एक्स्ट्रा जमीन का एरिया 1,04,654.75

स्क्वेयर मीटर से सीधे 6,261.15 स्क्वेयर मीटर दिखाया गया। इस वजह से, ओरिजिनल ऑर्डर में एक्स्ट्रा एरिया में भारी कमी आ गई। 'खाली' जमीन दिखाने पर भी आपत्ति जताई गई

इस मामले में एक और ज़रूरी मुद्दा संबंधित जमीन पर हुए कंस्ट्रक्शन का है। एडमिनिस्ट्रेशन की जांच में कहा गया है कि झोपड़ियाँ और बिना इजाजत के कंस्ट्रक्शन को 'अटेच्ड जमीन' मानकर एक बड़े एरिया को 'खाली' दिखाया गया है, जबकि नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कोई वैलिड बिल्डिंग परमिट या मंजूर मैप नहीं है। ULC एक्ट के मुताबिक, कानूनी तौर पर मंजूर बिल्डिंग के आस-पास का एक खास एरिया 'खाली' माना जा सकता है। हालांकि, एडमिनिस्ट्रेशन ने इस जमीन को 'खाली' घोषित करने के प्रोसेस पर आपत्ति जताई है, क्योंकि संबंधित कंस्ट्रक्शन के लिए संबंधित अथॉरिटी का बिल्डिंग परमिट या मंजूर मैप रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है।

सेक्शन 45 का इस्तेमाल खुद विवादित
एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में सबसे



ज़रूरी आपत्ति यह है कि ULC एक्ट के सेक्शन 45 का गलत इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सेक्शन मुख्य रूप से ऑर्डर में लिखने या टाइप करने जैसी गलतियों को ठीक करने तक ही सीमित है। लेकिन, अगर ऑर्डर में

एक्स्ट्रा जमीन के एरिया में कोई बड़ा बदलाव करना है, तो कानून में बताए गए दूसरे प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी था। इसके लिए सेक्शन 33 के तहत अपील प्रोसेस या सेक्शन 34 के तहत राज्य सरकार के पास रिवीजन का ऑप्शन था।

लेकिन, एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इस प्रोसेस को फॉलो किए बिना ही सेक्शन 45 के आधार पर ओरिजिनल ऑर्डर में बदलाव किया गया। इस पूरे प्रोसेस की वजह से ओरिजिनल ऑर्डर में बताई गई एक्स्ट्रा जमीन के एरिया में इतना बड़ा

अंतर कैसे आया, इसके लिए क्या कानूनी प्रोसेस फॉलो किया गया और क्या संबंधित अधिकारियों को ऐसा करेक्शन करने का अधिकार था, ये सवाल अब फिर से सामने आ गए हैं। हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के बैकग्राउंड में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट से करोड़ों रुपये के इस जमीन के मामले में डॉक्यूमेंट्स और पिछले ULC ऑर्डर्स की फिर से जांच होने की संभावना बन गई है।

घटनाक्रम इस तरह है:
1981: 96,797.73 sq.m. जमीन को एक्स्ट्रा बताया गया। 1987: सर्वे नंबर 750, 751 और 755 के संबंध में सेक्शन 8(4) के तहत 1,04,654.75 sq.m. अतिरिक्त एरिया घोषित किया गया। 30 सितंबर 1993: सेक्शन 45 के आधार पर ऑर्डर में बदलाव किया गया। अतिरिक्त एरिया 6,261.15 sq.m दिखाया गया। 13 जून 1995: रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि जोरिंग और नियम और शर्तों के आधार पर आगे की कार्रवाई के बाद फाइल बंद कर दी गई थी।

ज्ञान, प्रकृति और प्रगति का संगम बनेगा ‘शिक्षा महाकुंभ 6.0’



9 से 11 अक्टूबर तक NIT हमीरपुर में जुटेंगे देशभर के शिक्षाविद, वैज्ञानिक और नीति-निर्माता; थीम – ‘विकास और प्रकृति के साथ सामंजस्य के लिए शिक्षा’

प्रस्तुतकर्ता – डॉ. गरिमा भाटी, सह मीडिया प्रभारी, शिक्षा महाकुंभ अभियान, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक फरीदाबाद

फरीदाबाद। शिक्षा अब केवल कक्षाओं और पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन और बदलती कार्य-संस्कृति के दौर में शिक्षा की भूमिका के पुनर्मूल्यांकन के उद्देश्य से ‘शिक्षा महाकुंभ 6.0’ का आयोजन इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है।

तीन दिवसीय यह राष्ट्रीय महाकुंभ 9 से 11 अक्टूबर 2026 तक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), हमीरपुर में आयोजित होगा। इस वर्ष का केंद्रीय विषय ‘शिक्षा, प्रकृति और प्रगति : विकास और प्रकृति के साथ सामंजस्य के लिए शिक्षा’ रखा गया



है।

आयोजन के मुख्य तथ्य एक नजर में:

- आयोजन: शिक्षा महाकुंभ 6.0
- तिथि व स्थान: 9-11 अक्टूबर 2026, NIT हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

- उद्घाटन: पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया द्वारा
- समापन सत्र के मुख्य अतिथि: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता

- विशिष्ट सहभागिता: सांसद श्री अनुराग ठाकुर, श्री राजीव भारद्वाज, डॉ. सिकंदर कुमार सहित शिक्षा, शोध और उद्यमिता जगत की प्रमुख हस्तियां

महाकुंभ के प्रमुख बिंदु:
1. 16 विषयगत धाराओं पर

विमर्श: विज्ञान, अभियांत्रिकी, उभरती प्रौद्योगिकियां, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान, स्वास्थ्य, कृषि एवं पर्यावरण, भारतीय ज्ञान प्रणाली, रक्षा एवं सुरक्षा सहित समकालीन विषयों पर व्यापक चर्चा होगी।

2. आठ विशेष मंच: आयोजन में कुलपति-निदेशक एवं शिक्षा नेतृत्व सम्मेलन, प्राचार्य एवं उद्कृष्ट शिक्षक सम्मेलन, वैज्ञानिक एवं शोधार्थी सम्मेलन, नव उद्यम एवं उद्यमी सम्मेलन, CSR एवं NGO सम्मेलन, मीडिया सम्मेलन तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मेलन जैसे मंच प्रस्तावित हैं।

3. विद्यार्थी सृजनकता के रूप में: महाकुंभ में विद्यार्थी केवल श्रोता नहीं होंगे। विद्यार्थी परियोजना प्रदर्शनी में युवा नवोन्मेषक अपने मॉडल

प्रदर्शित करेंगे। साथ ही स्कूली छात्रों के लिए शैक्षिक उत्कृष्टता ओलंपियाड और ‘शोधार्थी’ शोध पत्रिका जैसी पहलें भी होंगी।

4. सम्मान और संस्कृति का संगम: उत्कृष्ट शिक्षकों, शोधार्थियों और संस्थानों को ‘संकाय उत्कृष्टता सम्मान’ व ‘विद्यार्थी उत्कृष्टता सम्मान’ से सम्मानित किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय विरासत को भी मंच दिया जाएगा।

आयोजकों के अनुसार, इस महाकुंभ का उद्देश्य विश्वविद्यालय और विद्यालय, तकनीक और संस्कृति, तथा विकास और प्रकृति के बीच संवाद स्थापित कर एक संवेदनशील और उत्तरदायी भविष्य की शिक्षा का मार्ग तैयार करना है।

ओडिशा के वरिष्ठ सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप कुमार राय से पार्षद मनीष यादव ‘बंटी’ की आत्मीय मुलाकात



अनुभव और नई पीढ़ी की जनसेवा सोच के संगम का बना अवसर; सामाजिक सरोकार, विकास और सार्वजनिक जीवन पर हुआ सार्थक संवाद

डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक रिसाली / भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़



सार्वजनिक जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक संवाद हुआ, जिसे अनुभव और नई पीढ़ी के बीच सेतु के रूप में देखा जा रहा है।
मुख्य बिंदुवार - कौन हैं दिलीप कुमार राय और क्यों है मुलाकात अहम ?
वरिष्ठ सांसद का परिचय
- राजनीतिक सफर: ओडिशा विधानसभा सदस्य से लेकर केंद्र

सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का अनुभव

- संसदीय रिकॉर्ड: 2026 में ओडिशा से निर्दलीय राज्यसभा सांसद निर्वाचित, यह उनका तीसरा राज्यसभा कार्यकाल
- उद्यमिता: मैफेयर होटल्स & रिसोर्ट्स के संस्थापक एवं अध्यक्ष, चार दशक से अधिक की हॉस्पिटैलिटी यात्रा में देशभर में विस्तृत समूह का निर्माण

बिंदु 2: पार्षद मनीष यादव ‘बंटी’ का पक्ष
- रिसाली नगर निगम में पार्षद के रूप में जनसरोकारों से जुड़े विषयों को उठाने की कार्यशैली
- भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य के रूप में संगठनात्मक जिम्मेदारी
- यादव ने कहा - ‘वरिष्ठ नेतृत्व के अनुभव से संवाद नई पीढ़ी के जनप्रतिनिधियों को सार्वजनिक जीवन की जटिलताओं, जन अपेक्षाओं और विकास के व्यापक दृष्टिकोण को समझने का अवसर देता है।’

बिंदु 3: मुलाकात के मायने
- यह भेंट केवल औपचारिक शिष्टाचार तक सीमित नहीं रही - अनुभवी राजनीतिक नेतृत्व और नई पीढ़ी के जनप्रतिनिधि के बीच संवाद का अवसर
- यादव ने राय के स्नेह और मार्गदर्शन को अपने लिए प्रेरणादायी बताया

संपादकीय टिप्पणी: राजनीति में अक्सर आरोप-प्रत्यारोप की खबरें आती हैं, लेकिन ऐसी आत्मीय मुलाकातें लोकतंत्र की सकारात्मक तस्वीर दिखाती हैं। जब एक स्थानीय पार्षद राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी सांसद से सीखने के भाव से मिलता है, तो यह जनसेवा की नई ऊर्जा का निर्माण करता है। अनुभव का लाभ नई सोच को मिले, यही इस तरह के संवाद की सार्थकता है।

श्रद्धेय अशोक सिंहल जी की जन्म शताब्दी का लोगो जारी - सांस्कृतिक जागरण, हिंदू स्वाभिमान और राष्ट्रनिष्ठ समर्पण का प्रतीक है : बजरंग बागड़ा



27 सितंबर को 100 वर्ष पूर्ण होने पर वर्षभर चलेंगे कार्यक्रम; भगवा पृष्ठभूमि, स्वर्णिम वलय और श्रीराम मंदिर को दर्शाता है विशेष लोगो - VHP महामंत्री ने किया अनावरण

प्रस्तुतकर्ता:- पिंकी कुंडू
सामाजिक परामर्शदाता
परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

एक लोगो में समाया एक युग विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पितामह और श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता श्रद्धेय श्री अशोक सिंहल जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर विशेष लोगो जारी किया गया है। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री बजरंग लाल बागड़ा ने लोगो जारी करते हुए कहा कि यह लोगो केवल एक दृश्य-चित्रन नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक संस्कारों, हिंदू समाज के गौरव-जागरण और भारतीय संस्कृति के प्रति आजीवन समर्पण का प्रतीकात्मक संकलन है।

मुख्य बिंदुवार - लोगो में क्या है खास ?
बिंदु 1: लोगो का स्वरूप क्या दर्शाता है ? श्री बागड़ा ने लोगो के हर तत्व का अर्थ स्पष्ट किया: - "श्रद्धेय अशोक सिंहल - जन्म शताब्दी वर्ष 1926-2015र: नाम श्रद्धा और सम्मान का भाव प्रकट करता है, जबकि वर्ष उनके जीवन-काल को रेखांकित करता है।



- भगवा-केसरिया पृष्ठभूमि: त्याग, तपस्या, आध्यात्मिक चेतना, शौर्य और राष्ट्रधर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक।
- स्वर्णिम वलय: भारतीय ज्ञान-परंपरा का शाश्वतता, गौरव और प्रकाश को दर्शाता है।
- श्रीराम मंदिर: सिंहल जी के जीवन के सबसे बड़े ध्येय और राम जन्मभूमि आंदोलन में उनके ऐतिहासिक योगदान का प्रतीक।
- लहराता भगवा ध्वज: सनातन परंपरा, संगठन, त्याग और सांस्कृतिक स्वाभिमान का भाव।
बिंदु 2: व्यक्तित्व की झलक
लोगो के केंद्र में स्थित अशोक सिंहल जी का शांत, तेजस्वी और सौम्य चित्र उनके दृढ़ संकल्प, संगठन-कौशल, सतों के प्रति श्रद्धा और हिंदू समाज के प्रति आत्मीयता को दर्शाता है।
- तिलक और श्वेत वस्त्र: सादगी, आध्यात्मिक आस्था और

भारतीय जीवन-मूल्यों के प्रति निष्ठा।
- गहरा लाल-मरून पट्ट: ऊर्जा, साहस, संकल्प और संघर्षशीलता।
- पीताभ-स्वर्णिम आधार: ज्ञान, प्रकाश, मंगल और भविष्य के प्रति आशा।
बिंदु 3: अब आगे क्या ? - वर्षभर चलेंगे कार्यक्रम 27 सितंबर 2026 को उनके जन्म के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में:
- विश्व हिंदू परिषद समेत सम्पूर्ण विश्व में इस लोगो का

उपयोग किया जाएगा।
- इसका उपयोग विभिन्न कार्यक्रमों, प्रकाशनों, डिजिटल माध्यमों, स्मृति अभियानों और जनसंपर्क गतिविधियों में होगा।
- उद्देश्य है उनके विचारों, संकल्पों और कार्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना।
विहिप महामंत्री का वक्तव्य: "श्रद्धेय अशोक जी का जीवन भारतीय संस्कृति, हिंदू समाज के संगठन और सांस्कृतिक स्वाभिमान के लिए समर्पित रहा। जन्म शताब्दी वर्ष उनके योगदान के स्मरण के साथ-साथ सेवा, संगठन, संस्कार और सांस्कृतिक चेतना के नए संकल्पों को आगे बढ़ाने का अवसर है। यह लोगो उनके प्रति कृतज्ञ श्रद्धांजलि और प्रेरणा का प्रतीक बनेगा।"

संपादकीय टिप्पणी:
अशोक सिंहल केवल एक संगठनकर्ता नहीं थे, वे एक विचार थे जिसने हिंदू समाज को संगठित होने का मंत्र दिया। शताब्दी वर्ष पर यह लोगो उस विचार को नए प्रतीकों में नई पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास है।

ब्रिक्स सम्मेलन के पश्चात उत्तर प्रदेश के पर्यटन में नई संभावनाओं पर वाराणसी में हुआ सार्थक मंथन

संतोष कुमार सिंह परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक वाराणसी



सारनाथ स्थित लेटल ग्राग बाग में ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ टूरिस्ट्स & लेजिस्लैटिवी प्रोफेशनल्स (जीएलएचपी) उत्तर प्रदेश वेंचर डेवेलपमेंट इन्टरनैशनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सम्मेलन के पश्चात उत्तर प्रदेश के पर्यटन पर प्रभाव उत्तराव्रत अवसर, युवाओं को नई अवसर की दिशा दिखाने पर पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने विचार विमर्श किया। कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर अमित गुप्ता अतिरिक्त डायरेक्टर डीआर टूरिज्म वाराणसी रहे उन्होंने ब्रिक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों से भारत तथा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को मिलने वाली संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं विरासत पर्यटन क्षमता को वैश्विक स्तर पर और अधिक

प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के अवसर बढ़ेंगे। कार्यक्रम में गैप उत्तर प्रदेश वेंचर डेवट के वेंचर चेयरमैन डीएन सिंह ने कहा कि वाराणसी, प्रयोध्या, प्रयागराज, गंधुग-वृंदावन, आगरा एवं अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों की समृद्ध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए पर्यटन उद्योग, लेटल, ट्रेवल ट्रेड, उद्ये एवं सरकारी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों से उत्पन्न रुचि को

उत्तर प्रदेश के पर्यटन उद्योगों में परिवर्तित करने के लिए उद्योग को मिलकर ठोस रणनीति तैयार करनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से गाइड टूरिज्म, स्पिरिटुअल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, लक्जरी टूरिज्म तथा डेस्टिनेशन वेंडिक्स जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की संभावनाओं पर जोर दिया। कार्यक्रम का संयातन गैल्लियरी उत्तर प्रदेश वेंचर डेवट के सेक्टरल अकादमी कांत पाठक ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं सदस्यों का स्वागत उदय सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र से

जुड़े सुशील कुमार सिंह, राजीव सिंह, शंतनु सिंह, डाक्टर अजय सिंह, जितेंद्र सिंह, मिस केशी सिंह, मुकुल दुबे, कुबेर भारद्वाज, अनूप प्रसाद, कुणाल सोलंकी, शालभ आलम, अभिषेक पाठक, सुधांगु सक्सेना, गौतम पाण्डेय, अभिजीत रॉय, अश्वनी सिंह एवं विनीत कुमार मिश्रा, सागर भापा सहित अनेक गणगण्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बदलती संभावनाओं, पर्यटकों के लिए बेहतर अनुभव विकसित करने, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग तथा भविष्य में पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग को और गतिवत बनाने पर सकारात्मक एवं सार्थक कर्वां हुईं। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर गैल्लियरी उत्तर प्रदेश वेंचर डेवट के सेक्टरल अकादमी कांत पाठक ने कहा। कार्यक्रम के प्रति आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र के विकास के लिए ऐसे संवाद एवं उद्योग केंद्रित कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026: क्या प्लास्टिक, ई-कचरे का कबाड़ बनेगा नई अर्थव्यवस्था की ताकत?



फेंकने की संस्कृति पर ब्रेक, कचरे से कमाई के नए चक्र का वैश्विक बिगुल गांधीनगर में WCEF का पहला दक्षिण एशिया आयोजन, 65 देशों के 2000 प्रतिनिधि शामिल

लेखक एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी का विश्लेषण

प्रस्तुतकर्ता पिकी कुंडू सामाजिक परामर्शदाता, सह संपादक परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

कचरा नहीं, अगला कच्चा माल दुनिया आज एक ही सवाल से जुड़ा रही है – आर्थिक विकास तो चाहिए, पर संसाधन कम पड़ रहे हैं, कचरा बढ़ रहा है और जलवायु बिगड़ रही है। ऐसे में पुराना मॉडल – उत्पादन-उपभोग-फेंकना (Linear Economy) अब फेल हो रहा है।

इसी के विकल्प के रूप में उभरा है चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) मॉडल, जिसका मूल मंत्र है – क्षतिग्रस्त को बदलने से पहले मरम्मत करो, फेंकने से पहले पुनः उपयोग करो, नष्ट करने से पहले उपयोगी सामग्री वापस पाओ।

इसी वैश्विक सोच को नई तकनीक, वित्त और नीति से जोड़ने के लिए भारत पहली बार दक्षिण एशिया में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम (WCEF) 2026 की मेजबानी कर रहा है। 15 से 18 सितंबर 2026 तक गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में यह मंच चल रहा है।

मुख्य बिंदुवार – क्या है WCEF 2026 ?

- बिंदु 1: तथ्य क्या हैं ?
- स्थान: महात्मा मंदिर, गांधीनगर
- थीम: Circular Economy:

Transition for People and Prosperity (जनता और समृद्धि के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था)

- सहभागिता: 65+ देशों के 2,000 से अधिक हितधारक, 125+ प्रदर्शक
- शुरुआत: फिनलैंड की संस्था SITRA ने 2017 में शुरू किया था, अब यह वार्षिक वैश्विक मंच है
- भारत के लिए महत्व: भारत ने हाल में 10YFP (10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption) बोर्ड के को-चेयर की जिम्मेदारी संभाली है। 15 सितंबर को इसी बोर्ड की बैठक भी गांधीनगर में हुई।
- बिंदु 2: चक्रीय अर्थव्यवस्था है क्या ?
- 7R का मॉडल यह सिर्फ कचरा प्रबंधन नहीं, पूरी उत्पादन व्यवस्था को री-डिजाइन करना है। एडवोकेट भावनानी के अनुसार इसके 7 सिद्धांत हैं: Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle
- मोबाइल खराब हो तो नया नहीं, मरम्मत और पुर्जों का पुनः उपयोग
- ई-कचरे से सोना, तांबा, लिथियम जैसी मूल्यवान धातुओं की रिकवरी

- पुराने कपड़ों से नया फैशन, पुराने भवन की सामग्री से नया निर्माण
- कृषि अवशेष जलाने के बजाय बायोगैस, कम्पोस्ट
- EV बैटरी का सेकंड लाइफ उपयोग

लेखक का तर्क: इ भारत में यह कोई नया पश्चिमी सिद्धांत नहीं है। मरम्मत, पुनः उपयोग, कबाड़ से जुगाड़ भारतीय समाज में आदि काल से रहा है। बस अब इसे तकनीक और निवेश से जोड़ना है।

बिंदु 3: भारत को क्या फायदा ? – 3 बड़े लाभ

- आयात पर निर्भरता कम: हर बार नया लौह अयस्क, तांबा, एल्युमिनियम, प्लास्टिक खरीदने की जरूरत नहीं, पुराने से ही कच्चा माल मिलेगा।
- नए रोजगार और बिजनेस: रीसाइक्लिंग, रिपेयर, रिफर्बिशिंग, कलेक्शन में लाखों हरित रोजगार। प्लास्टिक को उच्च गुणवत्ता वाले रीसाइकलड माल में बदलने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा।
- नया वित्त – सर्कुलर फाइनेंस: बैंक, निवेशक ऐसे बिजनेस में पूंजी लगाएं जो संसाधन बचाते हैं। WCEF 2026 में इस पर विशेष फोकस है।

बिंदु 4: चर्चा क्या हो रही है ?

- 15-16 सितंबर: मुख्य सम्मेलन – AI, ऊर्जा, रोजगार, वित्त, टिकाऊ उत्पाद, स्टार्टअप
- 17-18 सितंबर: 80 एक्सेलरेटर शेसन (ऑनलाइन/हाइब्रिड) – UNDP के साथ फैशन और निर्माण की सर्कुलर सप्लाई चेन, बांग्लादेश की ब्लू इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ में बिजनेस इकोसिस्टम

संपादकीय निष्कर्ष: WCEF 2026 का सबसे बड़ा संदेश स्पष्ट है – भविष्य की अर्थव्यवस्था रकितना उत्पादन हुआर से नहीं, बल्कि रकितना मूल्य बचाया गयाह से मापी जाएगी।

यदि भारत Extended Producer Responsibility (EPR) जैसे नियमों को सख्ती से लागू कर उत्पादों को शुरू से ही टिकाऊ और लंबे जीवन वाला बनाता है, तो कचरा बोझ नहीं, बल्कि अगले चक्र का संसाधन बन सकता है।

यही परिवर्तन है – फेंकने की संस्कृति से बचत की संस्कृति, अपशिष्ट से संसाधन और रैखिक विकास से चक्रीय समृद्धि की ओर।



ब्रिक्स न्यायिक मंच: विधि के शासन और वैश्विक न्यायिक सहयोग को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम



● आदित्य शर्मा छात्र, डीएमई कॉलेज

प्रस्तुतकर्ता: पिकी कुंडू सह-संपादक परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

ब्रिक्स न्यायिक मंच ब्रिक्स देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, विधि के शासन को बढ़ावा देने तथा विभिन्न देशों की न्यायपालिका के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभर रहा है। वैश्विक मामलों में ब्रिक्स की भूमिका लगातार व्यापक हो रही है। ऐसे में न्यायिक संस्थाओं के बीच सहयोग आपसी विश्वास को बढ़ाने, न्यायिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने तथा तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया के सामने उत्पन्न हो रही नई चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान कर सकता है।

यह मंच ब्रिक्स देशों के न्यायाधीशों, विधि विशेषज्ञों और न्यायिक संस्थाओं को साझा हितों से जुड़े विषयों पर अपने अनुभव और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। न्याय तक पहुंच, न्यायिक प्रशासन और न्यायिक सुधारों से लेकर प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर

अपराध तथा सीमा-पार कानूनी सहयोग जैसे उभरते विषयों पर संवाद, न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी, आधुनिक और नागरिक-केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

भारत के लिए ब्रिक्स के अंतर्गत न्यायिक सहयोग उसकी व्यापक सोच ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ और विधि-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। भारत ने हमेशा ऐसी संस्थाओं के महत्व पर जोर दिया है जो पारदर्शी, सुलभ और समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने में सक्षम हों। ब्रिक्स न्यायिक मंच जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत अपनी संस्थागत विशेषज्ञता और अनुभवों को साझा करने के साथ-साथ अन्य सदस्य देशों की विविध न्यायिक एवं कानूनी परंपराओं से सीखने का अवसर भी प्राप्त करता है।

ब्रिक्स की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसकी विविधता है। इस समूह में अलग-अलग संवैधानिक व्यवस्थाओं, कानूनी परंपराओं और न्यायिक संरचनाओं



वाले देश शामिल हैं। यह विविधता चुनौती के बजाय ज्ञान और अनुभव के आदान-प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। संरचित न्यायिक संवाद के माध्यम से सदस्य देश अपनी-अपनी संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए साझा सिद्धांतों और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान कर

सकते हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रभाव न्यायिक सहयोग को और भी प्रासंगिक बनाता है। दुनिया भर की अदालतें ई-गवर्नेंस, वर्चुअल सुनवाई, डिजिटल केस मैनेजमेंट और अन्य तकनीक-आधारित प्रणालियों को अपना रही हैं। इन क्षेत्रों में अनुभवों का आदान-प्रदान ब्रिक्स देशों को न्यायिक प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने, मामलों के निपटारे में होने वाली देरी को कम करने तथा नागरिकों के लिए न्याय को अधिक सुलभ बनाने में सहायता कर सकता है। विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए तकनीक न्याय तक पहुंच का एक प्रभावी माध्यम बन सकती है।

ब्रिक्स न्यायिक मंच सीमा-पार उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध जैसी गतिविधियाँ अब किसी देश अपनी-अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई हैं। इनके प्रभावी समाधान के लिए विभिन्न देशों की संस्थाओं के बीच बेहतर सहयोग

आवश्यक है। डिजिटल प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रभाव न्यायिक सहयोग को और भी प्रासंगिक बनाता है। दुनिया भर की अदालतें ई-गवर्नेंस, वर्चुअल सुनवाई, डिजिटल केस मैनेजमेंट और अन्य तकनीक-आधारित प्रणालियों को अपना रही हैं। इन क्षेत्रों में अनुभवों का आदान-प्रदान ब्रिक्स देशों को न्यायिक प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने, मामलों के निपटारे में होने वाली देरी को कम करने तथा नागरिकों के लिए न्याय को अधिक सुलभ बनाने में सहायता कर सकता है। विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए तकनीक न्याय तक पहुंच का एक प्रभावी माध्यम बन सकती है।

ब्रिक्स न्यायिक मंच सीमा-पार उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध जैसी गतिविधियाँ अब किसी देश अपनी-अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई हैं। इनके प्रभावी समाधान के लिए विभिन्न देशों की संस्थाओं के बीच बेहतर सहयोग

विभिन्न देशों की न्यायिक व्यवस्थाओं की तुलनात्मक समझ और उभरते कानूनी विषयों पर शोध को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।

जैसे-जैसे ब्रिक्स एक व्यापक और प्रभावशाली वैश्विक मंच के रूप में विकसित हो रहा है, न्यायिक सहयोग इसके संस्थागत विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। ब्रिक्स न्यायिक मंच यह दर्शाता है कि अलग-अलग कानूनी परंपराओं और राष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद देश साझा हितों के क्षेत्रों में सार्थक और रचनात्मक सहयोग स्थापित कर सकते हैं।

अंततः, मजबूत न्यायिक सहयोग एक साझा उद्देश्य को आगे बढ़ा सकता है—न्याय तक आसान पहुंच, प्रभावी संस्थाएं और विधि के शासन पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सहयोग। इस दृष्टि से ब्रिक्स न्यायिक मंच केवल कानूनी संवाद का मंच नहीं है, बल्कि सदस्य देशों के बीच संस्थागत विश्वास को मजबूत करने तथा अधिक संतुलित, सहयोगात्मक और विधि-आधारित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में योगदान देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

हड्डियों की उम्र बढ़ने का विज्ञान: क्षरण, तंत्र और पुनर्यौवन

डॉ. विजय गर्ग, सेवानिवृत्त प्राचार्य, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

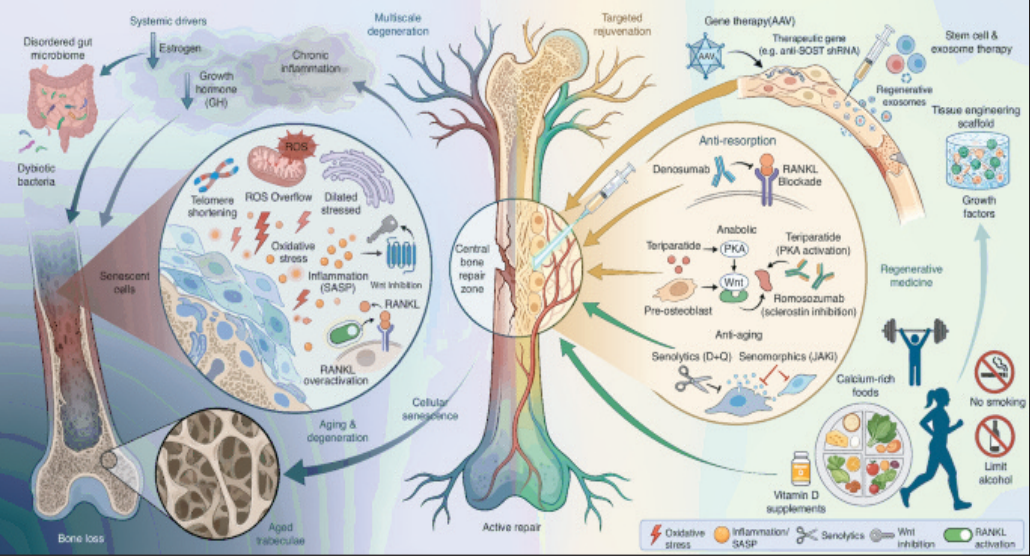
हड्डियों को अक्सर केवल शरीर को सहारा देने वाले ढाँचे के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में वे जीवित और गतिशील ऊतक हैं, जो लगातार स्वयं का नवीनीकरण करते रहते हैं। जीवनभर पुरानी या क्षतिग्रस्त हड्डी को ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएँ हटाती हैं और नई हड्डी का निर्माण ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएँ करती हैं। उम्र बढ़ने के साथ यह नाजूक संतुलन धीरे-धीरे प्रभावित होने लगता है। हड्डियों का घनत्व कम होना, उनकी संरचना में गिरावट और मरम्मत की क्षमता में कमी अंततः ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर के जोखिम को बढ़ा सकती है। आधुनिक शोध के अनुसार हड्डियों की उम्र बढ़ना कोई एकल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आणविक, कोशिकीय, ऊतक और पूरे शरीर के स्तर पर होने वाले अनेक परिवर्तनों का जटिल परिणाम है।

हड्डियाँ कैसे बूढ़ी होती हैं ?

हड्डियों की मजबूती बनाए रखने के लिए बोन रीमॉडलिंग अत्यंत आवश्यक है। युवा अवस्था में नई हड्डी के निर्माण और पुरानी हड्डी के टूटने की प्रक्रियाएँ अपेक्षाकृत संतुलित रहती हैं। उम्र बढ़ने पर यह संतुलन हड्डी के अधिक क्षरण और कम निर्माण की दिशा में बदल सकता है।

हड्डी के अंदर मौजूद ट्रेबेक्युलर बोन की सूक्ष्म संरचनाएँ पतली और अधिक अलग-अलग हो सकती हैं, जबकि कॉर्टिकल बोन भी पतली तथा अधिक छिद्रयुक्त हो सकती है। इन संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण हड्डियों की यांत्रिक दबाव सहने की क्षमता कम हो सकती है, और यह कम केवल बोन मिनरल डेंसिटी से समझाई नहीं जा सकती।

कोशिकीय स्तर पर भी कई प्रकार की कोशिकाएँ प्रभावित होती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट नई हड्डी बनाने में पहले की तुलना में कम सक्रिय हो सकते हैं, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट की गतिविधि अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी हो सकती है। हड्डी के भीतर स्थित लंबे समय तक



जीवित रहने वाली ऑस्टियोसाइट कोशिकाएँ भी उम्र से संबंधित कार्यात्मक बदलावों का सामना करती हैं।

इसी समय, कंकाल की स्टेम और प्रोजेनिएटर कोशिकाएँ अपनी पुनर्यौजी क्षमता खो सकती हैं और हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं के बजाय वसा कोशिकाओं में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति बढ़ा सकती हैं।

ऑक्सीडेटिव तनाव और माइटोकॉन्ड्रियल असंतुलन

हड्डियों की उम्र बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण कोशिकीय तनाव का बढ़ना है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की अधिकता डीएनए, प्रोटीन और कोशिका झिल्ली को नुकसान पहुँचा सकती है। हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं में अत्यधिक ऑक्सीडेटिव तनाव उनके विकास और खनिजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है तथा कोशिकीय कार्यक्षमता में गिरावट ला सकता है।

माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिकाओं के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने वाली संरचनाएँ हैं, उम्र के साथ कम प्रभावी हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में गड़बड़ी और क्षतिग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया को हटाने की प्रक्रिया

कमजोर होने से ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ सकता है और कोशिकीय वृद्धावस्था, जिसे सेल्युलर सेसेसेंस कहा जाता है, को बढ़ावा मिल सकता है। ये परिवर्तन हड्डी के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

कोशिकीय वृद्धावस्था: जब बूढ़ी कोशिकाएँ हानिकारक बन सकती हैं

सेल्युलर सेसेसेंस कंकाल की उम्र बढ़ने की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वृद्ध कोशिकाएँ प्रजाति होना बंद कर देती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे शरीर से समाप्त हो जाएँ। इसके बजाय इनमें से कई कोशिकाएँ सूजन उत्पन्न करने वाले अणुओं और अन्य पदार्थों को छोड़ती हैं। इन पदार्थों के समूह को सेनेसेंस-एसोसिएटेड सेक्रेटरी फेनोटाइप, अर्थात् कोशिकीय वृद्धावस्था-संबंधी स्थायी स्वरूप कहा जाता है।

उम्र बढ़ती हड्डी के सूक्ष्म वातावरण में ये संकेत सूजन को बढ़ा सकते हैं और आसपास की कोशिकाओं के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। शोध से संकेत मिलता है कि वृद्ध कोशिकाएँ ऑस्टियोब्लास्ट के कार्य को कमजोर कर सकती हैं और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकती हैं जो ऑस्टियोक्लास्ट की

गतिविधि के अनुकूल हों।

चूँही पर किए गए प्रायोगिक अध्ययनों में वृद्ध कोशिकाओं को हटाने से उम्र से संबंधित हड्डी के क्षरण में कमी देखी गई है। इससे सेल्युलर सेसेसेंस भविष्य में संभावित चिकित्सीय लक्ष्य के रूप में सामने आया है।

हालाँकि, इन प्रयोगशाला निष्कर्षों को नियमित मानव उपचार में बदलना अभी चुनौतीपूर्ण है। 2024 में रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं पर किए गए एक चरण-2 नैदानिक परीक्षण में डसाटिनिब और क्वेरसेटिन के बीच-बीच में दिए जाने वाले संयोजन से हड्डी के क्षरण से संबंधित प्राथमिक परिणाम में महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया। यह दर्शाता है कि प्रयोगशाला में आशाजनक दिखाई देने वाली उपचार पद्धतियाँ आवश्यक रूप से प्रभावी मानव उपचार में परिवर्तित नहीं होतीं।

सूजन, हार्मोन और हड्डियों का वातावरण

हड्डियों शरीर से अलग होकर उम्रदराज नहीं होतीं। शरीर में होने वाली कई कार्यों के बीच सूजन, प्रतिरक्षा कोशिकाओं के व्यवहार में बदलाव और बोन मैरो के वातावरण में परिवर्तन भी हड्डियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर



सकते हैं।

उम्र बढ़ने के साथ हार्मोनल परिवर्तन भी होते हैं। उदाहरण के लिए, रजोनिवृत्ति के आसपास एस्ट्रोजन का स्तर कम होने से हड्डियों का क्षरण तेज हो सकता है। पुरुषों में भी उम्र से संबंधित सेक्स हार्मोन में परिवर्तन हड्डियों के रखरखाव को प्रभावित कर सकते हैं।

हड्डियों के भीतर मौजूद रक्त वाहिकाएँ और तंत्रिकाएँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हड्डी का निर्माण और रक्त वाहिकाओं का विकास एक-दूसरे से closely जुड़े हुए हैं। उम्र के साथ विशेष प्रकार की रक्त वाहिकाओं में होने वाला क्षरण हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं को मिलने वाले समर्थन को कम कर सकता है। तंत्रिका संकेतों में बदलाव भी हड्डियों की रीमॉडलिंग प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

क्या उम्रदराज हड्डियों का पुनर्यौवन संभव है ?

बोन रीजनरेशन या बोन रिजुवेनेशन का अर्थ आवश्यक रूप से पुरानी हड्डी को जैविक रूप से युवा हड्डी जैसा बना देना नहीं है। इसका उद्देश्य उन जैविक प्रक्रियाओं को फिर से बेहतर बनाना है, जो स्वस्थ हड्डी के निर्माण और पुनर्निर्माण को बनाए रखती हैं।

वर्तमान चिकित्सा में ऐसी दवाएँ उपलब्ध हैं जो अत्यधिक हड्डी क्षरण को

कम करती हैं, जबकि कुछ एनाबोलिक उपचार नई हड्डी के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। पर्याप्त पोषण, उचित शारीरिक गतिविधि, धूम्रपान से बचाव और अत्यधिक शराब के सेवन से बचना भी हड्डियों के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण आधार हैं।

वैज्ञानिक अब अधिक लक्षित उपचारों पर शोध कर रहे हैं। इनमें वृद्ध कोशिकाओं को लक्षित करने वाली सेनोलाइटिक थेरेपी, माइटोकॉन्ड्रियल असंतुलन और दोषपूर्ण ऑटोफैजी को लक्षित करने वाली रणनीतियाँ, पुनर्यौजी चिकित्सा, ऊतक इंजीनियरिंग और जीन-आधारित उपचार शामिल हैं।

शोधकर्ता यह भी अध्ययन कर रहे हैं कि यांत्रिक उत्तेजना और कोशिकाओं की यांत्रिक संकेतों को पहचानने की क्षमता उम्रदराज कंकालीय स्टेम कोशिकाओं को किस प्रकार पुनर्जीवित कर सकती है। 2026 के एक अध्ययन में प्रयोगात्मक प्रमाण मिले कि यांत्रिक उत्तेजना उम्रदराज हड्डी में क्रोमैटिन रीमॉडलिंग और वृद्ध स्टेम कोशिकाओं के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है।

आगे की राह

हड्डियों की उम्र बढ़ने पर भविष्य का शोध हड्डी क्षरण को केवल एक बीमारी के रूप में देखने के बजाय इसे परस्पर जुड़ी हुई अनेक जैविक प्रक्रियाओं के नेटवर्क के रूप में समझने की दिशा में बढ़ रहा है।



● डॉ. विजय गर्ग

आनुवंशिकी, एपिजेनेटिक्स, सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव, कोशिकीय वृद्धावस्था, चयापचय, रक्त वाहिकाओं का स्वास्थ्य और यांत्रिक शक्तियाँ—सभी उम्रदराज कंकाल को प्रभावित करती हैं।

Bone Research में प्रकाशित व्यापक समीक्षा में हड्डियों की उम्र बढ़ने को समझने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें मल्टी-ओमिक्स मैपिंग, बोन ऑर्गेनॉइड, कंयूटेसनल मॉडल और विशिष्ट उम्र बढ़ने वाले जैविक मार्गों को लक्षित करने वाली प्रीसिजन थेरेपी जैसी आधुनिक तकनीकों की संभावनाओं पर ध्यान दिया गया है।

इस प्रकार हड्डियों की उम्र बढ़ना केवल “उम्र बढ़ने” का सामान्य परिणाम नहीं है। यह कोशिकाओं के बीच समन्वय और पुनर्यौजी क्षमता के धीरे-धीरे कम होने वाली एक जटिल जैविक प्रक्रिया है। इन तंत्रों को समझने से भविष्य में चिकित्सा केवल फ्रैक्चर से ऑस्टियोपोरोसिस के उपचार तक सीमित न रहकर, पहले से ही हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और जीवन के बाद के चरणों में हड्डियों की कुछ कार्यक्षमताओं को पुनर्स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।

हड्डियों के पुनर्यौवन का लक्ष्य केवल अधिक हड्डी बनाना नहीं, बल्कि उन जैविक संतुलन को पुनर्स्थापित करना है, जो हड्डियों को जीवनभर नवीनीकरण, मरम्मत और अनुकूलन की क्षमता प्रदान करता है।



कलुंगा के बाद रिउं में था 100 उद्योगों का प्लान, 5 हजार रोजगार का सपना अधर में; 30 कंपनियों के आवेदन के बाद भी जमीन आवंटन नहीं, अधिकारियों के तबादले ने रोकी रफ्तार

लेखक:- डा राजकुमार यादव, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक, कुआरमुंडा (रिउं), सुंदरगढ़, राउरकेला

जमीन है, सपना है, पर विकास नहीं सुंदरगढ़ जिले में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देने के उद्देश्य से प्रस्तावित कुआरमुंडा ब्लॉक के रिउं स्थित दूसरे औद्योगिक क्षेत्र की रफ्तार अब सवालों के घेरे में है। कलुंगा के बाद जिले

PMO से खनन विभाग तक पहुँची शिकायत, कार्रवाई अब भी इंतजार में - टेन्सा की PTA और गीतारानी माइंस में सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल

16- चक्का व भारी वाहनों पर रोक और स्वतंत्र ऑडिट की मांग; CPGRAMS शिकायत No. PMOPG/E/2026/016643 6 डिटी डायरेक्टर माइनिंग तक पहुंची, पर 16 सितंबर तक स्टेटस 'अंडर प्रोसेस'

डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक कोइड़ा, सुंदरगढ़, राउरकेला

दिल्ली तक गुंजा सुरक्षा का सवाल, पर जमीन पर सन्नाटा सुंदरगढ़ जिले के टेन्सा श्रेय स्थित PTA एवं गीतारानी माइन्स में कथित सुरक्षा अनियमितताओं और भारी वाहनों के दुर्घटना जोखिम को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक पहुंची शिकायत अब स्थानीय खनन प्रशासन की मेज तक पहुंच चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई का अभी भी इंतजार है। सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील मामले में केवल पनाचावर और पोर्टल पर "अंडर प्रोसेस" लिख देना क्या पर्याप्त है? यह सवाल अब जिला प्रशासन और खनन विभाग के सामने खड़ा है।

मुख्य बिंदुवार - क्या है पूरा मामला? बिंदु 1: शिकायत PMO तक कैसे पहुंची? - शिकायतकर्ता: राजकुमार यादव - तारीख: 1 सितंबर 20२६ को PMO के CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज - शिकायत संख्या:



PMOPG/E/२0२६/016643६

- आरोप: खदानों में भारी वाहनों को अत्यधिक तीव्री ढलान से गुजरना पड़ता है, जिससे उतारते समय वाहन अनियंत्रित लेने, पलटने और गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। माइंस परिसर में पूर्व में दुर्घटनाब्रस्त कुछ वाहन पड़े लेने की बात भी सामने आती रही है। बिंदु २: शिकायत में क्या मांग की गई है? शिकायतकर्ता ने 4 सूत्रीय तत्काल कार्रवाई की मांग की है:

- संयुक्त सुरक्षा निरीक्षण: खदान, परिवहन और सड़क सुरक्षा का मौके पर निरीक्षण
- भारी वाहनों की समीक्षा: 1६-चक्का एवं उससे अधिक लम्बा वाले ट्रकों, लहजा तथा अन्य भारी वाहनों के परिवहन पर सुरक्षा समीक्षा और रोक पर विचार
- स्वतंत्र एड-ऑडी ऑडिट: खनन, परिवहन, सड़क ढलान, श्रमिक सुरक्षा, दुर्घटना प्रतिक्रिया तथा पर्यावरणीय मानकों का स्वतंत्र ऑडिट
- दुर्घटना इतिहास की जांच: परिसर में पड़े दुर्घटनाब्रस्त वाहनों की स्वयं जांच बिंदु ३: कार्रवाई कब तक पहुंचेगी?

उपकरण निर्माण, ऑटोमोबाइल से जुड़ी इकाइयां - प्लॉट साइज: 10 डिसिमिल से 1 एकड़ तक, सरकारी दर पर - रोजगार लक्ष्य: 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार - बुनियादी सुविधा: कोयल नदी से जलापूर्ति, विद्युत सब-स्टेशन, बिजली कनेक्शन बिंदु 2: जमीनी हकीकत क्या है? - 3 साल में आधा काम भी नहीं - शुरूआती चरण में 30 से अधिक कंपनियों ने इकाई स्थापित करने में रुचि दिखाई, आवेदन किया। - लेकिन अब तक किसी भी आवेदक को जमीन आवंटित नहीं हो सकी है। - मौके पर सिर्फ आधी चारदीवारी, अधूरी नाली और 500 मीटर सड़क ही बनी है। न सब-स्टेशन, न जलापूर्ति की लाइन। - स्थानीय उद्यमियों का कहना है - "फैक्ट्री लगानी थी, इंतजार में पूंजी फंसी है।"



बिंदु 3: विकास क्यों रुका? - तबादलों की भेंट चढ़ा प्रोजेक्ट स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि प्रशासनिक अधिकारियों एवं IDCO के अधिकारियों के लगातार तबादले के बाद परियोजना की फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। कोई अधिकारी प्रोजेक्ट को ओन नहीं कर

रहा। सवाल यह है कि जब बुनियादी ढांचा ही तैयार नहीं, तो निवेश कैसे आएगा? और जब निवेश नहीं, तो सुंदरगढ़ के युवाओं के लिए 5 हजार रोजगार का वादा कब पूरा होगा?

संपादकीय टिप्पणी: कलुंगा औद्योगिक क्षेत्र पहले से ही ओवरलोडेड है। रिउं दूसरा विकल्प था जो राउरकेला-कुआरमुंडा बेल्ट को नया औद्योगिक कॉरिडोर बना सकता था। 56 एकड़ जमीन देकर सरकार ने अपना काम किया, लेकिन IDCO की

सुरती ने उद्यमियों का भरोसा तोड़ा है। सरकार को चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए टाइम-बाउंड डेडलाइन तय करे और सिंगल बिंदो में आवंटन शुरू करे, नहीं तो यह औद्योगिक क्षेत्र कागजों में ही 'दूसरा' बना रहेगा, जमीन पर नहीं।

स्थानीय रोजगार नहीं, युवा बेहाल - खनिज संपदा से समृद्ध कोइड़ा में करोड़ों का दोहन, पर स्थानीय हाथ खाली

लौह अयस्क और मैंगनीज की खदानों में बाहरी श्रमिकों को तरजीह का आरोप; ग्रामीणों ने पूछा - जमीन हमारी, संसाधन हमारे, तो रोजगार बाहर वालों को क्यों?

डा राजकुमार यादव, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक, कोइड़ा (बोनाई), सुंदरगढ़, उड़ीसा

धरती से निकल रहा खजाना, पर युवा देख रहे हैं पलायन का रास्ता यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि जिस धरती से देश का इस्पात बनता है, वहीं के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं।

खनिज, प्राकृतिक एवं औद्योगिक संपदा से समृद्ध सुंदरगढ़ जिले के कोइड़ा क्षेत्र में स्थानीय युवाओं की उपेक्षा का आरोप एक बार फिर सतह पर आ गया है। यहां लौह अयस्क एवं मैंगनीज खदानों का दशकों से संचालन हो रहा है, करोड़ों टन खनिज हर साल यहां से निकलता है, लेकिन स्थानीय आबादी के हिस्से में धूल, प्रदूषण और विस्थापन के अलावा कुछ नहीं

आता। मुख्य बिंदुवार - क्या है जमीनी सच्चाई? बिंदु 1: खनिज का लाभ किसे मिल रहा है? - संसाधन: कोइड़ा ओडिशा का सबसे बड़ा लौह अयस्क बेल्ट है, जहां 50 से अधिक खदानें सक्रिय हैं। - आरोप: खनन कंपनियां खुदाई के लिए स्थानीय जमीन और पर्यावरण का उपयोग करती हैं, लेकिन रोजगार में बड़ी संख्या में बाहरी और ठेका श्रमिकों को रखा जाता है।

- नतीजा: स्थानीय युवा अकुशल मजदूर बनकर रह गए हैं, जबकि तकनीकी और स्थायी नौकरियां बाहर वालों को दी जा रही हैं। बिंदु 2: जनता की मांग क्या है? - 3 सूत्रीय न्याय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की मांग स्पष्ट है: 1. स्थानीय को प्राथमिकता: खदानों और प्लांट में ग्रुप C और D की 80% नौकरियों में स्थानीय युवाओं को अनिवार्य प्राथमिकता। 2. आंकड़े सार्वजनिक हों: हर



कंपनी हर महीने बताए कि तने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया, कितनों को प्रशिक्षण दिया। 3. CSR का मतलब स्किल हो: सामाजिक दायित्व के नाम पर सिर्फ सड़क-बाउंड्री नहीं, बल्कि ITI, ड्राइवर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मशीन ऑपरेटर जैसे रोजगारपरक प्रशिक्षण केंद्र कोइड़ा में ही खोले जाएं। बिंदु 3: सबसे बड़ा सवाल ग्रामीण पूछ रहे हैं - "यदि क्षेत्र की जमीन, प्राकृतिक संसाधन और

पर्यावरण का नुकसान स्थानीय समाज झेल रहा है, तो विकास का प्रत्यक्ष लाभ भी यहां के लोगों तक क्यों नहीं पहुंचना चाहिए?" जिस क्षेत्र की धरती से करोड़ों रुपये की खनिज संपदा निकल रही है, वहां के युवाओं को रोजगार के लिए राउरकेला, भुवनेश्वर या दूसरे राज्यों की ओर क्यों देखना पड़े? "संपादकीय टिप्पणी: कोइड़ा की समस्या सिर्फ रोजगार की नहीं, संतुलन की है। खनन जरूरी है, देश के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन

"स्थानीय लोगों के बिना स्थानीय विकास" संभव नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि DMF (जिला खनिज निधि) के पैसे से कोइड़ा में ही स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू करे और एक पारदर्शी स्थानीय रोजगार नीति को सख्ती से लागू करे। वरना यह असंतोष आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। खनन से सड़क बन सकती है, लेकिन भरोसा सिर्फ रोजगार से बनता है।

“भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मिलेगा नया कौशल-बल, डॉ. राजीव मिश्रा के नेतृत्व में IFEVA-GNIOT समझौता”

डॉ. राजीव मिश्रा के नेतृत्व में IFEVA और GNIOT के बीच महत्वपूर्ण समझौता इलेक्ट्रिक वाहन, परीक्षण, अनुसंधान और कौशल विकास को मिलेगा नया आयाम

विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और हरित ऊर्जा के क्षेत्र को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन (IFEVA) और ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (GNIOT) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर IFEVA के अध्यक्ष डॉ. राजीव मिश्रा और GNIOT के निदेशक डॉ. धीरज गुप्ता ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी, परीक्षा एवं प्रमाणन, अनुसंधान, नवाचार, हरित ऊर्जा, तकनीकी प्रशिक्षण तथा उद्योग-शैक्षणिक संस्थान के बीच सहयोग को मजबूत करना है। इस महत्वपूर्ण समझौते को साकार करने में GNIOT के कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. दीपक के. सिंह के विशेष प्रयासों और पहल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

डॉ. राजीव मिश्रा: भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अभियान की सशक्त आवाज डॉ. राजीव मिश्रा, अध्यक्ष, IFEVA इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में उद्योग, शिक्षण संस्थानों, तकनीकी विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं तथा विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।

IFEVA के नेतृत्व में आयोजित "भारत महा ईवी रैली" देशभर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक व्यापक राष्ट्रीय पहल रही है। इस अभियान के माध्यम से विभिन्न शहरों, शिक्षण संस्थानों, उद्योग प्रतिनिधियों और आम नागरिकों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों, स्वच्छ ऊर्जा, चार्जिंग अवसंरचना और सतत परिवहन को लेकर जागरूकता का संदेश पहुंचाया गया।

यह पहल भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को जन-आंदोलन का स्वरूप देने तथा युवाओं को भविष्य की हरित एवं तकनीकी अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में सामने आई है।

GNIOT बनेगा उद्योग और शिक्षा के बीच मजबूत सेतु ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (GNIOT) तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख संस्थानों में से एक है। संस्थान कंप्यूटर साइंस, ऑटोमैशियल इंटीलिजेंस एवं मशीन लर्निंग, मैकेनिकल



इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार सहित विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करता है। IFEVA के साथ यह समझौता GNIOT के विद्यार्थियों और शिक्षकों को इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं, नवीनतम तकनीकों और व्यावहारिक कार्यप्रणालियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। **समझौते से विद्यार्थियों और उद्योग को होगा व्यापक लाभ** IFEVA और GNIOT के बीच सहयोग के अंतर्गत निम्न क्षेत्रों में कार्य किए जाने की संभावनाएं हैं— इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी पर

उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण एवं कौशल विकास। ईवी, बैटरी, चार्जिंग तथा परीक्षण से संबंधित कार्यशालाएं और तकनीकी कार्यक्रम। अनुसंधान एवं नवाचार परियोजनाओं को बढ़ावा। विद्यार्थियों को ईवी उद्योग विशेषज्ञों और कंपनियों से संवाद का अवसर। इंटरशिप, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक परियोजनाओं के अवसर। शिक्षकों के लिए क्षमता-विकास एवं ज्ञान-विनिमय कार्यक्रम। ईवी परीक्षण, गुणवत्ता, मानकों और प्रमाणन से संबंधित तकनीकी जानकारी।

- स्टार्टअप, उद्यमिता एवं नई तकनीकों को प्रोत्साहन। उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना। यह सहयोग भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आवश्यक कुशल मानव संसाधन तैयार करने के साथ-साथ अनुसंधान, नवाचार, स्वदेशी विनिर्माण, उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देने में योगदान कर सकता है। **24 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा में ईवी एवं टेस्टिंग उद्योग का विशेष आयोजन** इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए IFEVA द्वारा 24 अक्टूबर 2026 को नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहन एवं टेस्टिंग उद्योग से

संबंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता, परीक्षण एवं प्रमाणन विशेषज्ञ, तकनीकी कंपनियां, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षाविद् तथा उद्योग जगत के अन्य प्रमुख हितधारकों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम में ईवी परीक्षण, गुणवत्ता मानक, नई तकनीक, बैटरी एवं चार्जिंग तकनीक, अनुसंधान तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी।

GNIOT के चेयरमैन के प्रति आभार IFEVA और GNIOT की इस पहल को संस्थान के नेतृत्व का सहयोग प्राप्त हुआ। दोनों संस्थानों की ओर से GNIOT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन डॉ. राजेश कुमार गुप्ता के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया गया, जिनके सहयोग एवं महत्वपूर्ण कदम हैं। इसका व्यापक उद्देश्य देश के युवाओं को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और हरित प्रौद्योगिकी के भविष्य के लिए तैयार करना तथा भारत को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सक्षम और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देना है।



दत्तोपतें टेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड की 69वीं वर्षगांठ पर डीजीएमएस सभागार में समारोह, उत्कृष्ट योगदान के लिए श्रमिक मित्र और प्रशिक्षु सम्मानित लेखक रमणिवास, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक धनबाद दत्तोपतें टेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (अन एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार), क्षेत्रीय निदेशालय-धनबाद द्वारा बोर्ड की स्थापना की 6९वीं वर्षगांठ के अवसर पर मंगलवार को खान सुरक्षा मलानिदेशालय (डीजीएमएस) के सभागार में श्रमिक शिक्षा दिवस समारोह का मध्य आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ वंदेमातरम के गायन और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रमोरी क्षेत्रीय निदेशक श्री आर. के. गुप्ता ने पुष्पगुच्छ और शाल श्रद्धांजलि अर्पितियों की खगलत किया। स्वागत भाषण में श्री गोप ने कहा कि बोर्ड आज पूरे देश में ग्रपना स्थापना दिवस श्रमिक शिक्षा दिवस के रूप में बना रहा है। बोर्ड का संकल्प है कि श्रमिक शिक्षा रूपी दीपक के प्रकाश से देश की श्रम शक्ति को शिक्षित, ज्ञानवान, जागरूक और कुशल बनाकर २047 तक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जाए। मुख्य अतिथि ने की बोर्ड के कार्यों की साराला समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रफिस्ट डीजीएमएस, धनबाद के उपमलानिदेशक (वांकिरी) श्री पी. के. सिंह ने कहा कि जिस प्रकार श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए श्रमायुक्त कार्यालय की आवश्यकता है, उसी प्रकार श्रमिकों में ज्ञान का सार बढ़ाने, अधिकारों-कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने और प्रबंधन के साथ मिलकर विकास की गति बढ़ाने के लिए श्रमिक शिक्षा बोर्ड की मकती आवश्यकता है। उन्होंने सीमित संसाधनों और अधिकारियों की कमी के बावजूद धनबाद की टीम द्वारा श्रमिक वर्ष के रित में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की साराला की। विशेष श्रमिचित अतिथि बीबीसीएल, धनबाद के मलप्रबंधक (सकती) श्री एच. के. ठाकुर ने कहा कि देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में बोर्ड की भूमिका सारालीय है। उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की म्गलदेश में परिवर्तन लाकर शर्त कार्य संस्कृति विकसित करने में बोर्ड अरुण योगदान दे रहा है। समारोह की अध्यक्षता बोर्ड की क्षेत्रीय सलाकार समिति के अध्यक्ष श्री धर्मजित चौधरी ने की। उन्होंने मलिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बोर्ड के योगदान की साराला करती हू कहा कि शिक्षा और जागरूकता के अभाव में श्रमिक वर्ष शोषित होता है, इस दिशा में बोर्ड का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। सम्मान समारोह इस अवसर पर बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों तथा श्रमिक मित्रों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मुख्य अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र और प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री स्वप्न सोहन, सुनील कुमार शर्मा, गोविन्द प्रसाद खानी, सहदेव मलहो, धैरराज चौहान और सतीश कुमार का सारालीय योगदान रहा। अंत में श्रमिक मित्र अरुण कुमार तिवारी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

